



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 787]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 27, 1989/अग्रहायण 6, 1911

No. 787] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 27, 1989/AGRAHAYANA 6, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असम संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

पर्यावरण और वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन और जलजीव विभाग)

नई दिल्ली, नवम्बर, 27 1989

अधिसूचना

का.मा. 966(अ) :—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधि-
नियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त
नाम परिसंकेतमय रसायनों का विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियम,
1989 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपे-
क्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
(1986 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अनुसूची 5 के स्तम्भ 2 में वर्णित प्राधिकरण
अभिप्रेत है,

(ग) "निर्यात" से इसके व्याकरणिक रूपमें और सजातीय पदों
सहित भारत से भारत के बाहर किसी स्थान को ले जाना
अभिप्रेत है,

(घ) "निर्यातकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो निर्यात करने
वाले देश की अधिकारिता के अधीन है और इसके अन्तर्गत
ऐसा निर्यात करने वाला देश भी है जो परिसंकेतमय रसायन
का निर्यात करता है,

(ङ) "परिसंकेतमय रसायन" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) ऐसा कोई रसायन जो अनुसूची 1 के भाग 1 में अधि-
कथित किसी मानव को तुष्टि करता है और इस अनु-
सूची के भाग 2 के स्तम्भ 2 में सूचीबद्ध है,

(ii) ऐसा कोई रसायन जो अनुसूची 2 के स्तम्भ 2 में
सूचीबद्ध है,

(iii) ऐसा कोई रसायन जो अनुसूची 3 के स्तम्भ 2 में
सूचीबद्ध है,

- (क) "आयात" से इससे व्याकरणिक रूपमें और प्रजातीय पदों सहित भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में आना अभिप्रेत है;
- (ख) "आयातकर्ता" से ऐसा कोई अधिष्ठाता या कोई व्यक्ति अभिप्रेत है; जो परिसंकटमय रसायनों का आयात करता है;
- (ग) "औद्योगिक क्रियाकलाप" से निम्नलिखित अभिप्रेत है—
 (i) ऐसा कोई प्रकाशन या प्रक्रिया जो अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट किसी औद्योगिक संस्थापन में चलाई जाती है जिसमें एक या अधिक परिसंकटमय रसायन अन्तर्बलित हैं या होता संभाव्य है और इसके अन्तर्गत रसायन संयंत्र पर स्थल पर परिवर्तन भी है, जो, यथास्थिति, उस प्रकाशन या प्रक्रिया से सह-युक्त है; या
 (ii) एकल भंडारण, या
 (iii) पाइप लाइन;
- (घ) "एकल भंडारण" से ऐसा परिसंकटमय रसायन का भंडारण अभिप्रेत है जो अनुसूची-4 में विनिर्दिष्ट उसी स्थान पर किसी संस्थापन में संबद्ध भंडारण से भिन्न हो जहाँ उस भंडारण में कम से कम अनुसूची-2 में निर्धारित उस रसायन की मात्रा अन्तर्निहित हो।
- (च) "व्यापक दुर्घटना" से ऐसी घटना जिसके अन्तर्गत कोई विनिर्दिष्ट व्यापक उत्सर्जन, अग्नि या विस्फोटक भी है, अभिप्रेत है, और जिसमें एक या अधिक परिसंकटमय रसायन अन्तर्बलित हैं और जो किसी औद्योगिक क्रियाकलाप के अनुक्रम में अनियंत्रित विकास के परिणामस्वरूप या ऐसी प्राकृतिक घटनाओं के कारण घटित होती है जिससे संस्थापन के भीतर या बाहर ऐसे वास्तविक या दूरगामी दोनों गंभीर परिणाम होंगे जिनसे जीवन और स्वस्थिती की पर्याप्त हानि होना संभाव्य है जिसके अन्तर्गत पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव भी है;
- (ट) "पाइप लाइन" से 8 बार निरूपेण से कम के उबाव पर अनुसूची 3 के भाग 2 के स्तम्भ 2 में यथा वर्णित उबलनशील रिस से विद्य किसी परिसंकटमय रसायन के प्रवर्णन के लिए कोई पाइप (उसमें सहयुक्त किसी साधित और संकर्म सहित) या पाइप प्रणाली (उसमें सहयुक्त किसी साधित और संकर्म सहित) अभिप्रेत है। पाइपलाइन में अन्तर्-राज्यीय पाइप लाइन भी शामिल है।
- (ड) "अनुसूची" से इन नियमों से उपायय अनुसूची अभिप्रेत है;
- (ड) "स्थल" से ऐसा कोई अवस्थान अभिप्रेत है जहाँ परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण या प्रसंस्करण, भंडारण, उत्पादन, प्रयोग, व्ययन किया जाता है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई पूर्ण क्षेत्र भी है जो किसी अधिष्ठाता के नियंत्रणाधीन है और इसके अन्तर्गत भंगसार, जेटी या इसी प्रकार की संरचना चाहे वह प्लवमान हो या नहीं आती है।
- (ब) "देहली मात्रा" से—
 (i) अनुसूची 2 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट किसी परिसंकटमय रसायन की दशा में, स्तम्भ 3 से 4 में की तत्स्थानीय प्रक्रिस्ट में विनिर्दिष्ट उस रसायन की मात्रा,
 (ii) अनुसूची 3 के भाग 1 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट किसी परिसंकटमय रसायन की दशा में, उस भाग के स्तम्भ 3 से 4 में की तत्स्थानीय प्रक्रिस्ट में विनिर्दिष्ट उस रसायन की मात्रा,
 (iii) अनुसूची 3 के भाग 2 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट किसी वर्ग के पदार्थों की दशा में, उस भाग के स्तम्भ

3 से 4 में की तत्स्थानीय प्रक्रिस्ट में विनिर्दिष्ट उस वर्ग के सभी पदार्थों की कुल मात्रा—

अभिप्रेत है।

3. प्राधिकरणों के कर्तव्य : इन नियमों के अन्वय उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अनुसूची 5 के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. औद्योगिक क्रियाकलाप के दौरान अधिष्ठाता का साधारण उत्तरदायित्व,—

(1) यह नियम निम्नलिखित का लागू होगा:—

(क) ऐसा औद्योगिक क्रियाकलाप जिसमें ऐसा कोई परिसंकटमय रसायन जो अनुसूची 1 में के भाग 1 में अधिबलित है किसी मानदण्ड की तुलना करता है, और इस अनुसूची के भाग 2 के स्तम्भ 2 में सूचीबद्ध है, अन्तर्बलित है या हो सकता है, और

(ख) एकल भंडारण जिसमें स्तम्भ 2 में अनुसूची 2 में सूचीबद्ध किसी परिसंकटमय रसायन को ऐसी देहली मात्रा अन्तर्बलित है जो उसके स्तम्भ 3 में उस रसायन के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट देहली मात्रा के बराबर या उससे अधिक है।

(2) ऐसा कोई अधिष्ठाता जिसका उपनियम (1) के आधार पर औद्योगिक क्रियाकलाप पर नियंत्रण है, यह प्रतिबन्ध करने के लिए साक्ष्य प्रदान करेगा कि उसने—

(क) व्यापक दुर्घटना परिसंकटों की पहचान कर ली है, और

(ख) उसने—

(i) ऐसा व्यापक दुर्घटनाओं के निवारण के लिए और व्यक्तियों और पर्यावरण पर उनके प्रभाव को सीमित करने के लिए,

(ii) स्थल पर काम करने वाले व्यक्तियों को जानकारी, प्रशिक्षण और उपकरण जिसके अन्तर्गत उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक साधन-सामान भी है, प्रदान करने के लिए, समुचित कदम उठाये हैं।

5. व्यापक दुर्घटना को अधिसूचना:—(1) जहाँ किसी स्थल पर कोई व्यापक दुर्घटना घटित हो जाती है, जहाँ अधिष्ठाता उस दुर्घटना के बारे में अनुसूची 5 में अधिज्ञात संबद्ध प्राधिकरण को तुरन्त उस अधिसूचित करेगा और तत्पश्चात् संबद्ध प्राधिकरण को, यदि आवश्यक हो, दुर्घटना से संबंधित एक रिपोर्ट अनुसूची 6 में क्रिस्टों में देगा।

(2) संबद्ध प्राधिकरण उस नियम के उपनियम 1 के अनुसूचन में रिपोर्ट की प्राप्ति पर, व्यापक दुर्घटना का पूर्ण विवक्षेप करेगा और समुचित माध्यम के द्वारा पर्यावरण और जन मंत्रालय को अपेक्षित जानकारी भेजेगा।

(3) जहाँ अधिष्ठाता ने संबंधित विधान के अधीन संबद्ध प्राधिकरण को कोई व्यापक दुर्घटना अधिसूचित कर ली है, जहाँ उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने इस नियम के उपनियम 1 के अनुसूचन अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

6. औद्योगिक क्रियाकलाप जिनको नियम 7 से नियम 15 लागू होते हैं।

(1) नियम 7 से नियम 15 निम्नलिखित को लागू होंगे,—

(क) कोई ऐसा औद्योगिक क्रियाकलाप जिसमें अनुसूची 3 के स्तम्भ 2 में सूचीबद्ध किसी परिसंकटमय रसायन की कोई

पैमी मात्रा अन्तर्बलित है, जो स्वल्प 3 और 4 में केवल नियम 10 से 12 स्तम्भ 4 के लिए उस रसायन के लिए प्रविष्टि में विनिश्चित मात्रा के बराबर या उससे अधिक है, और

(ब) एकल संशोधन जिसमें अनुसूची 1 के स्तम्भ 2 में सूचीबद्ध किसी परिष्कृतमय रसायन की कोई ऐसी मात्रा अन्तर्बलित है जो स्तम्भ 4 में उस रसायन के लिए प्रविष्टि में विनिश्चित मात्रा के बराबर या उससे अधिक है।

(1) नियम 7 से नियम 15 के प्रयोजनों के लिए:—

(क) "नया औद्योगिक क्रियाकलाप" से ऐसा कोई औद्योगिक क्रियाकलाप अभिप्रेत है जो:—

(i) इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात् प्रारम्भ होता है; या

(ii) यदि उस तारीख के पूर्व प्रारम्भ होता है, तो ऐसा कोई औद्योगिक क्रियाकलाप है जिसमें ऐसा कोई उपचार किया गया है जिससे व्यापक दुर्घटना परिसंकेत पैदा होने की संभावना है, और वह क्रियाकलाप उस तारीख की जिसकी उपचारण किया गया था, प्रारम्भ किया गया माना जाएगा।

(ख) "विद्यमान औद्योगिक क्रियाकलाप" से ऐसा कोई औद्योगिक क्रियाकलाप अभिप्रेत है जो एक नया औद्योगिक क्रियाकलाप नहीं है।

7. स्थलों की अधिसूचना:—(1) अधिष्ठाता कोई औद्योगिक क्रियाकलाप अब तक नहीं चलाया जब तक कि उसने उस क्रियाकलाप के प्रारम्भ होने के कम से कम 3 मास पूर्व या ऐसे संश्लेषण के पूर्व जिसके लिए संकेत प्राधिकरण सहमत हो, अनुसूची 7 में विनिश्चित विनिश्चितियों को अन्तर्बलित करने वाली एक लिखित रिपोर्ट संकेत प्राधिकरण को प्रस्तुत न कर दी हो और इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे क्रियाकलाप को जिसमें तत्पश्चात् किसी अतिरिक्त परिष्कृतमय रसायन की वैहनी मात्रा या उससे अधिक है या हो सकती है, भिन्न क्रियाकलाप माना जाएगा और वह तदनुसार अधिसूचित किया जाएगा।

(2) यदि कोई अधिष्ठाता विनियम 10(1) के अधीन कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा उपनियम (1) के अधीन कोई रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

8. वैहनी मात्रा में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उक्त अधिसूचना का अद्यतन बनाना:—जहाँ नियम 7(1) के अनुसार किसी क्रियाकलाप के बारे में कोई रिपोर्ट दी गई है और अधिष्ठाता उसमें कोई परिवर्तन करता है (जिसके अन्तर्गत किसी परिष्कृतमय रसायन की जिस पर यह नियम लागू होता है, अधिकतम वैहनी मात्रा में वृद्धि या किसी भी है जो स्थल पर या पाइप लाइन में या क्रियाकलाप के समालोच होने पर है या हो सकती है) जो उस रिपोर्ट में विनिश्चित विनिश्चितियों या इस नियम के अधीन की गई किसी पश्चात्पूर्व रिपोर्ट की प्रभावित करती है। अधिष्ठाता सम्बद्ध प्राधिकरण को तुरन्त एक अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

9. संक्रमणकारीन उपबन्ध-जहाँ:—

(क) इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को अधिष्ठाता का किसी ऐसे विद्यमान औद्योगिक क्रियाकलाप पर नियंत्रण है जिसकी नियम 7(1) के अधीन रिपोर्ट की जानी अपेक्षित है, या

(ख) उस तारीख के छह मास के भीतर अधिष्ठाता ऐसे किसी नए औद्योगिक क्रियाकलाप को प्रारम्भ करता है,

वहाँ उस नियम का यह पर्याप्त अनुपालन होगा यदि वह इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात् 3 मास के भीतर या ऐसी दीर्घवर्

अधिका के भीतर जिसके लिए सम्बद्ध प्राधिकरण लिखित रूप में सहमत हो, अनुसूची 7 में विनिश्चितियों के अनुसार सम्बद्ध प्राधिकरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

10. सुरक्षा रिपोर्ट:—(1) इस नियम के निम्नलिखित पैराओं के अधीन रहते हुए अधिष्ठाता किसी ऐसे औद्योगिक क्रियाकलाप को जिस पर यह नियम लागू होता है, जब तक नहीं चलाया जब तक उसने अनुसूची 8 में विनिश्चित जानकारी अन्तर्बलित करने वाली उस औद्योगिक क्रियाकलाप पर एक सुरक्षा रिपोर्ट तैयार न कर ली हो और उस रिपोर्ट की एक प्रति उस क्रियाकलाप के प्रारम्भ होने के कम से कम 90 दिन पूर्व सम्बद्ध प्राधिकरण को न भेज दी हो।

(2) किसी नए औद्योगिक क्रियाकलाप की वशा में जिस अधिष्ठाता इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् 6 मास के भीतर प्रारम्भ करता है है या नियम 6 के उपनियम (2) (क) (ii) के आधार पर प्रारम्भ किया हुए माना जाता है, तो इन नियमों के उपनियम (1) का यह पर्याप्त अनुपालन होगा यदि अधिष्ठाता इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात् 90 दिन के भीतर उन उपनियम के अनुसार अपेक्षित रिपोर्ट की एक प्रति सम्बद्ध प्राधिकरण को भेज देता है।

(3) विद्यमान औद्योगिक क्रियाकलाप को वशा में इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से 5 वर्ष के पश्चात् तक यह इस नियम के उपनियम (1) का पर्याप्त अनुपालन होगा यदि अधिष्ठाता इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से 90 दिन की या उसके पूर्व सम्बद्ध प्राधिकरण को उस क्रियाकलाप से संबंधित अनुसूची 7 में विनिश्चित जानकारी भेज देता है।

11. नियम 10 के अधीन रिपोर्टों का अद्यतन बनाना:—(1) जहाँ अधिष्ठाता ने नियम 10 के उपनियम (1) के अनुसार कोई सुरक्षा रिपोर्ट दी है वहाँ वह उस औद्योगिक क्रियाकलाप में जिससे वह सुरक्षा रिपोर्ट संबंधित है, कोई ऐसे उपचारण नहीं करेगा जिनसे उस रिपोर्ट में विनिश्चितियों पर वास्तविक रूप से प्रभाव पड़ सके जब तक कि उसने इन उपचारणों पर विचार करने के लिए एक अतिरिक्त रिपोर्ट न दी हो और उस रिपोर्ट की एक प्रति इन उपचारणों के करने के कम से कम 90 दिन पूर्व सम्बद्ध प्राधिकरण को न भेज दी हो।

(2) जहाँ अधिष्ठाता ने नियम 10 और इस नियम के उपनियम (1) के अनुसार कोई रिपोर्ट की है और वह औद्योगिक क्रियाकलाप चालू बना हुआ है वहाँ अधिष्ठाता ऐसा अस्वस्थ रिपोर्ट की तारीख के 3 वर्ष के भीतर एक और रिपोर्ट करेगा जिसमें विनिश्चित रूप से ऐसे नए तकनीकी ज्ञान का ध्यान रखा जाएगा जिनसे सुरक्षा और परिसंकेत निर्धारण से संबंधित पूर्व रिपोर्ट में विनिश्चितियों की प्रभावित किया है, और 30 दिन के भीतर या ऐसे दीर्घवर्त समय में जिसके लिए सम्बद्ध प्राधिकरण लिखित रूप में सहमत हो, रिपोर्ट की एक प्रति सम्बद्ध प्राधिकरण को भेजेगा।

12. प्राधिकरण को भेजी जाने वाली और जानकारी के लिए अपेक्षाएं:—(1) जहाँ, नियम 10 के अनुसार, अधिष्ठाता ने औद्योगिक क्रियाकलाप से संबंधित सुरक्षा रिपोर्ट सम्बद्ध प्राधिकरण को भेज दी है, वहाँ सम्बद्ध प्राधिकरण अधिष्ठाता पर तामील की गई सूचना द्वारा उससे ऐसी अतिरिक्त जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो सूचना में विनिश्चित है और अधिष्ठाता ऐसे समय के भीतर जो सूचना में विनिश्चित है या बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जो प्राधिकरण तत्पश्चात् विनिश्चित करे, सम्बद्ध प्राधिकरण को यह जानकारी भेजेगा।

13. अधिष्ठाता द्वारा स्थल पर आपात योजना का तैयार किया जाना:—(1) अधिष्ठाता स्थल पर आपात योजना तैयार करेगा और उसे अद्यतन बनाए रखेगा जिसमें यह ध्यान होगा कि उस स्थल पर

जिस पर औद्योगिक क्रियाकलाप चलाया जा रहा है, व्यापक दुर्घटनाओं से किस प्रकार निपटा जाएगा और उस योजना के अन्तर्गत उस व्यक्ति का नाम जो स्थल पर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और उन व्यक्तियों के नाम भी होंगे जो आपात की दशा में योजना के अनुसार कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत हैं।

(2) अधिष्ठाता यह सुनिश्चित करेगा कि उपनियम (1) के अनुसार तैयार की गई आपात योजना में औद्योगिक क्रियाकलाप में किए गए किसी उपकरण पर भी विचार किया गया है और यह कि स्थल पर प्रत्येक व्यक्ति को जो योजना से प्रभावित होता है, सुसंगत उपबन्धों की जानकारी दी जाती है।

(3) अधिष्ठाता उपनियम (1) के अधीन प्रेषित आपात योजना

(क) किसी नए औद्योगिक क्रियाकलाप की दशा में उस क्रियाकलाप के प्रारम्भ होने के पूर्व,

(ख) विद्यमान औद्योगिक क्रियाकलाप की दशा में उन नियमों के प्रवृत्त होने के 90 दिन के भीतर,

तैयार करेगा।

14. स्थानोप प्राधिकरण द्वारा स्थल से दूर आपात योजना का तैयार किया जाता :—(1) संबद्ध प्राधिकरण का ऐसा अनुसूची 5 के स्तम्भ 2 में अधिष्ठाता है, यह कर्तव्य होगा कि वह समुचित स्थल से दूर आपात योजना तैयार करे और उसे अद्यतन बनाए रखे जिसमें उस स्थल पर किसी संभावित व्यापक दुर्घटना से संबंधित आपात स्थितियों से किस प्रकार निपटा जाएगा, के बारे में होंगे और उस योजना को तैयार करने में सम्बद्ध प्राधिकरण अधिष्ठाता और ऐसे अन्य व्यक्तियों से परामर्श करेगा जो वह आवश्यक समझे।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रेषित आपात योजना तैयार करने के लिए संबद्ध प्राधिकरण को समय बनाने के प्रयोजन के लिए अधिष्ठाता अपने नियंत्रणाधीन औद्योगिक क्रियाकलाप से संबंधित ऐसे जानकारी प्रदान करेगा जिसकी संबद्ध प्राधिकरण प्रेषणा करे जिसके अन्तर्गत संभावित व्यापक दुर्घटनाओं की प्रकृति, सीमा और उसके संभाव्य स्थल से दूर प्रभाव भी है और प्राधिकरण स्थल से दूर आपात योजना से जो नियम 10 के अधीन उसके कर्तव्यों से संबंधित है, अधिष्ठाता को हर प्रकार की जानकारी प्रदान करेगा।

(3) संरक्षित प्राधिकरण उपनियम (1) के अधीन प्रेषित अपनी आपात योजना :—

(क) किसी नए औद्योगिक क्रियाकलाप की दशा में उस क्रियाकलाप के प्रारम्भ होने के पूर्व,

(ख) विद्यमान औद्योगिक क्रियाकलाप की दशा में, इन नियमों के प्रवृत्त होने के छह मास के भीतर,

तैयार करेगा।

15. किसी व्यापक दुर्घटना से प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली जानकारी :—(1) अधिष्ठाता स्थल के बाहर व्यक्तियों को जिनका ऐसे किसी क्षेत्र में होना संभाव्य है जो किसी व्यापक दुर्घटना से प्रभावित हो सकते हैं, प्रत्यक्ष या जिला आपात प्राधिकरण के माध्यम से निम्नलिखित के बारे में जानकारी देने के लिए समुचित कार्यवाही करेगा :—

(क) व्यापक दुर्घटना परिसंकट की प्रकृति, और

(ख) सुरक्षा उपाय और "क्या करें" और "क्या न करें" जिन्हें किसी व्यापक दुर्घटना की दशा में पालन किया जाएगा।

(2) अधिष्ठाता किसी औद्योगिक क्रियाकलाप के प्रारम्भ होने के पूर्व उस क्रियाकलाप के बारे में विद्यमान औद्योगिक क्रियाकलाप के किसी मामले को छोड़कर जिस मामले में अधिष्ठाता इन नियमों के प्रवृत्त होने

के 90 दिन के भीतर उपनियम (1) की प्रेषणाओं का प्रवृत्त करेगा। व्यक्तियों को जानकारी देने के लिए उपनियम (1) के अधीन प्रेषित कार्यवाहियां करेगा।

16. जानकारी का प्रकट किया जाना :—(1) जहां नियम 5 या 7 से 15 के अधीन अधिसूचित जानकारी का मूल्यांकन करने के प्रयोजन के लिए सम्बद्ध प्राधिकरण उस जानकारी को किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट करता है वहां वह अन्य व्यक्ति उस जानकारी का उपयोग उसे प्रकट करने वाले संबद्ध प्राधिकरण के प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा और जानकारी प्रकट करने के पूर्व संबद्ध प्राधिकरण इस पैरा के अधीन अपनी बाध्यता के बारे में उस अन्य व्यक्ति को जानकारी देगा।

17. जानकारी का संग्रहण, विकास और प्रसारण :—(1) यह नियम किसी ऐसे औद्योगिक क्रियाकलाप को लागू होगा जिसमें ऐसा परिसंकटमय रसायन जो अनुसूची 1 के भाग 1 में अधिकतम किसी मानवण्ड की तुल्य करता है और इस अनुसूची के भाग 2 के स्तम्भ 2 में सूचीबद्ध है, अन्तर्भावित है या अन्तर्भावित हो सकता है।

(2) अधिष्ठाता जिसका इस नियम के उपनियम 1 के अधीन पर किसी औद्योगिक क्रियाकलाप पर नियंत्रण है, अनुसूची 9 में विनिर्दिष्ट सुरक्षा आंकड़ा गोट के रूप में जानकारी प्राप्त करेगा या उसका विकास करेगा। जानकारी अनुसूची 9 में निर्देश के लिए सुलभ होगी।

(3) अधिष्ठाता अपने द्वारा हवाले गए किसी परिसंकटमय रसायन की बाबत अनुसूची 9 में विनिर्दिष्ट कितने सुरक्षा आंकड़ा गोट को प्राप्त करने या उसका विकास करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि जानकारी सही ढंग से अभिलिखित की गई और परिसंकट का प्रवृत्त करने समय प्रयुक्त वैज्ञानिक साध्य परिलिखित करेगा। यदि किसी रसायन के परिसंकट की बाबत कोई महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है तो वह यथासंभव शीघ्र अनुसूची 9 में विनिर्दिष्ट तारिख तुरन्त आंकड़ा गोट में जोड़ी जाएगी।

(4) परिसंकटमय रसायन के प्रत्येक आधान पर स्पष्ट रूप से लेबल लगाया जाएगा या उसे निम्नलिखित को पढ़वाने करने के लिए चिह्नित किया जाएगा :—

(क) आधान की अन्तर्वस्तु ;

(ख) परिसंकटमय रसायन के विनिर्माता या आयातकर्ता का नाम और पता ;

(ग) मानवण्ड के अनुसार भौतिक, रासायनिक और विद्युत्ता संबंधी आंकड़े ; और

(5) इस नियम के उपनियम 4 के अधीन पर जहां आधान को आकार या पैकेज की प्रकृति की दृष्टि से किसी रसायन पर लेबल लगाना व्यावहारिक नहीं है, वहां दस्तावेजों को बांधने या जोड़ने जैसे अन्य प्रभावित साधनों के लिए उपयुक्त किया जाता चाहिए।

18. परिसंकटमय रसायनों का आयात :—(1) यह नियम किसी ऐसे रसायन को लागू होगा जो अनुसूची 1 के भाग 1 में अधिकतम किसी मानवण्ड की तुल्य करता है और इन अनुसूची के भाग 2 के स्तम्भ 2 में सूचीबद्ध है।

(2) भारत में परिसंकटमय रसायनों का आयात करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, अनुसूची 5 के स्तम्भ 2 में यथा अधिष्ठाता संबद्ध प्राधिकरण को आयात के समय या आयात की तारीख से तीस दिन के भीतर निम्नलिखित से संबंधित जानकारी देगा :—

(i) भारत में परेषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम और पता ;

(ii) भारत में प्रवेश पतन ;

(iii) भारत में निर्यात करने वाले देश से परिवहन का ढंग ;

(iv) आयात किए जा रहे रसायन (नों) की मात्रा ; और

(v) सुरक्षा जानकारी पूर्ण रूप से दिया जाना।

(3) यदि राज्य में संबद्ध प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि आयात किए जा रहे रसायन के व्यापक दुर्घटना होने की संभावना है तो यह ऐसी कार्यवाही जिसके अंतर्गत ऐसे आयातों का रोकना जाता है, जो राज्य का संबद्ध प्राधिकरण समुचित सभ्य करने के लिए आयातकर्ता को निवृत्त कर सकेगा।

(4) राज्य में संबद्ध प्राधिकरण साथ-साथ पत्तन परिसरों के भीतर परीक्षण को उभारते समय परिसंकटमय रसायनों के सुरक्षापूर्वक उठाने-घटाने और भंडारण की बाबत समुचित कार्यवाहियां करने के लिए संबद्ध पत्तन प्राधिकरण को सूचित करेगा।

(5) परिसंकटमय रसायनों का आयात करने वाला कोई व्यक्ति अनुसूची 10 में विनिर्दिष्ट आयातित परिसंकटमय रसायनों का अधिलेख बनाए रखेगा और इस प्रकार बनाए रखा गया अधिलेख राज्य में संबद्ध प्राधिकरण या पर्यावरण और वन मंत्रालय या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

(6) परिसंकटमय रसायन का आयातकर्ता या ऐसा कोई व्यक्ति जो उसकी ओर से कार्य कर रहा है, यह सुनिश्चित करेगा कि प्रवेश पत्तन से अतिम गंतव्य स्थान तक परिसंकटमय रसायनों का परिवहन मोटरयान अधिनियम, 1988 के उपबंधों के अधीन बनाए गए केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के अनुसार है।

19. सुधार सूचना :- (1) यदि संबद्ध प्राधिकरण को यह राय है कि किसी व्यक्ति ने इस नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया है तो संबद्ध प्राधिकरण उस पर एक सूचना की (जिसे इस भाग में "सुधार सूचना" कहा गया है) तामोज करेगा जिसमें उस व्यक्ति से ऐसी काला-बधि के भीतर जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, यथास्थिति उल्लंघन या उसे दबबर देने वाली बातों का उपचार करने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन तामोज की गई सूचना में स्पष्ट रूप से उन उपायों का विनिर्देश किया जाएगा जो उक्त उल्लंघनों का उपचार करने में अधिष्ठाता द्वारा किए जाएंगे।

20. अनुसूचियों को उपांतरित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति :- केन्द्रीय सरकार, किसी भी समय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूचियों में समुचित परिवर्तन कर सकेगी।

अनुसूची 1

[नियम 2 (क) (i), 4(1)(क), 4(2)(i), 17 और 18 देखिए]
रसायनों का निर्देशात्मक मानक और उनकी सूची

भाग 1

(क) विषैले रसायन :- रसायन जिनका गंधार विषालुता का निम्नलिखित मान है और जो अपने भौतिक और रासायनिक गुणों के कारण व्यापक दुर्घटना परिसंकट पैदा करने के लिए सक्षम हैं।

क्रम सं.	विषालुता की मात्रा	मुख्य मार्ग द्वारा मध्यम घातक डोज (मुख्य विषालुता) एलडी 50 (वरीक्षण पशुओं का कि० प्रा० शारीरिक वजन।	चर्मरियां मार्ग द्वारा मध्यम घातक डोज (चर्मरियां विषालुता) एलडी 50 (वरीक्षण पशुओं का मि. ग्रा०/कि०ग्रा० शारीरिक वजन	भंसत : श्वसन मार्ग द्वारा मध्यम घातक सांद्रता (चार घंटे)
----------	--------------------	---	---	--

1. अत्यंत विषैला	1-50	1-200	0.1-0.5
2. उच्च विषैला	51-500	201-2000	0.5-2.0

(ख) ज्वलनशील रसायन :

(i) ज्वलनशील गैस :- रसायन जो सामान्य दाब पर गैसीय दशा में और वायु के साथ मिश्रित किए जाने पर ज्वलनशील हो जाते हैं और जिनका सामान्य दाब पर क्वथनांक 20 डिग्री सेन्टीग्रेड या उससे कम है;

(ii) उच्च ज्वलनशील द्रव :- रसायन जिनका 23 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम प्रज्वलन ताप है और जिनका क्वथनांक सामान्य दाब पर 20 डिग्री सेन्टीग्रेड से अधिक है;

(iii) ज्वलनशील द्रव :- रसायन जिनका प्रज्वलन ताप 65 डिग्री सेन्टीग्रेड से कम है और जो दाब के अधीन वहां द्रव बने रहते हैं जहां विशिष्ट प्रसंस्करण बशाएँ जैसे उच्च दाब और उच्च तापमान व्यापक दुर्घटना परिसंकट पैदा कर सकती हैं।

(ग) विस्फोटक :- रसायन जिनका ज्वाला, ऊष्मा या फोटो-रसायन सम्बन्धी बमों के प्रभाव से विस्फोट हो सकता है या जो बाह्यनाइट्रो-बैन्जीन की तुलना में प्रयात या धरण के लिए अधिक सुधाही हैं।

भाग- 2

खतरनाक और विषैले रसायनों की सूची

क्रम संख्या रसायन का नाम

1	2
1.	एसीटीन
2.	एसीटीन साइनोहाइड्राइड
3.	एसीटिल क्लोराइड
4.	एसीटीलेन (इथीन)
5.	एथेलेन (2-प्रोपीनल)
6.	एक्राइलोनोइट्राइल
7.	भाल्डीकार्ब
8.	भाल्फ्रिन
9.	अलकाइल बेलेट
10.	मथाइल एल्कोहल
11.	एसीलभमाइन
12.	मल्का नेपथाइल पीथीयूरिया (मृदु)
13.	प्रमीनोडाइफिनाइल,-4
14.	प्रमीनोफीनोल,-2
15.	प्रमीटीन
16.	प्रमोनिया
17.	प्रमोनियम नाइट्रेट्स
18.	प्रमोनियम नाइट्रेट्स (इन फाटलाइजर)
19.	प्रमोनियम सलफामेट
20.	एनाबासाइन
21.	प्रनीलाइन
22.	एनीसाइडाइलबपी
23.	एडीमोनी एंड कम्पाउण्ड्स
24.	एडीमोनी हाइड्राइड (सटाइबाइन),
25.	आरसेनिक हाइड्राइड (आरसाइन)
26.	आरसेनिक पेनटाक्साइड, आरसेनिक (5) एसिड एंड साल्ट्स
27.	आरसेनिक ट्राइआक्साइड, आरसेनियस (3) एसिड्स एंड साल्ट्स
28.	एसनेसटीस
29.	एथीनफोस इथाइल
30.	एथीनफोस मिथाइल
31.	बैरियम एमर्सीड
32.	बैजोन

1	2	1	2
33.	बेनजीडाइन	88.	क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड
34.	बेनजीडाइन साइटस	89.	क्लोरोमफेनैट क्लोराइड
35.	बेनजोमर्वाोनोन	90.	क्लोरोएसीटिल क्लोराइड
36.	बेनजीइल क्लोराइड	91.	क्लोरोएसीटिल डी हाइड
37.	बेनजीइल पेट्रोवसाइड	92.	क्लोरोएनीलाइन-2
38.	बेनेजिल क्लोराइड	93.	क्लोरोएनीलाइन-4
39.	बेनेजिल साइनाइड	94.	क्लोरोबेंजीम
40.	बेरीलियम (पाउडरस कम्पाउण्डस)	95.	क्लोरोडीफीन(इन)
41.	फिनाइल	96.	क्लोरोएथोक्सीप्रोपेन
42.	विन (2-क्लोरोमिथाइल) कीटोन	97.	क्लोरोइथेनोल
43.	विन (2, 4, 6, "ट्राइनाइट्रोफिनाइल) एमीन	98.	क्लोरोइथाइल क्लोरोफॉर्मेट
44.	विन (2-क्लोरोइथाइल) सल्फाइड	99.	क्लोरोफ्लोरोकार्बनस
45.	विन (क्लोरोमिथाइल) ईथर	100.	क्लोरोफॉर्म
46.	विन (टर्ट-बुटिलपेरोक्सी) बुटेन, 2, 2	101.	क्लोरोफोरमाइल-4, मोफोलाइन
47.	विन (बुटिलपेरोक्सी) माइक्लोक्सेन, 1-1	102.	क्लोरोमिथेन
48.	विन, 1, 2, (ट्राइप्रोमोफिनोक्सी) इथेन	103.	क्लोरोमिथाइल ईथर
49.	विमफिनोन	104.	क्लोरोमिथाइल मिथाइल ईथर
50.	बोरोन तथा कम्पाउण्डस	105.	क्लोरोनिट्रोबेंजीन
51.	ब्रोमाइन	106.	क्लोप्रोन
52.	ब्रोमाइन पेट्रोवसाइड	107.	क्लोरोसल्फोनिक एसिड
53.	ब्रोमोफॉरम	108.	क्लोरोट्रिनिट्रोबेंजीन
54.	बुटाडाइन-1, 3	109.	क्लोरोएक्सयूरोन
55.	बुटेन	110.	क्रोमियम एंड कम्पाउण्डस
56.	बुटेनइथाइल	111.	क्रोमाल्ट एंड कम्पाउण्डस
57.	बुटेनोन-2	112.	क्रोपर एंड कम्पाउण्डस
58.	बुटोक्सी इथाइल	113.	क्रोमाक्रूरल
59.	बुटिल ग्लोसीडाल इथर	114.	क्रोमाफोस
60.	बुटिल पेट्रोक्सीएसीटेट, -टर्ट	115.	क्रोमाटेड्राउन
61.	बुटिल पेट्रोक्सीसोबुटिरेट, -टर्ट	116.	क्रोसोल्स
62.	बुटिल पेट्रोक्सी आइसोप्रोपाइल कार्बोनेट, टर्ट	117.	क्रिमिडाइन
63.	बुटिल पेट्रोक्सीमैलिगेट, टर्ट	118.	क्र्यूमेन
64.	बुटिल पेट्रोक्सीपीवाइनेट, -टर्ट	119.	साइनोफोस
65.	बुटिल विनाइल ईथर	120.	साइनोथीएट
66.	बुटिल-एन-मरकोपटन	121.	साइनोरीक फ्लोराइड
67.	बुटिलएमीन	122.	साइक्लोहेक्सेन
68.	सी-9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्रैकनस	123.	साइक्लोहेक्सानोल ;
69.	काइमियम एंड कम्पाउण्डस	124.	साइक्लोहेक्सानोन ;
70.	काइमियम आक्साइड (फ्यूमस) ;	125.	साइक्लोहेक्सीमाइड
71.	कैल्शियम साइनाइड	126.	साइक्लोपेटाडाइन
72.	कैप्टान	127.	साइक्लोपेंटेन
73.	कैप्टोफोल	128.	साइक्लोपेट्रामिथाइलएन्टेड्रानाइट्रामाइन
74.	कार्बारायन (मेविन)	129.	साइक्लोप्रिमिथाइलेन, ट्रिनिट्रामाइन
75.	कार्बोक्व्यूशन	130.	डी डी टी
76.	कार्बन ड्रि सल्फाइड	131.	डेकाब्रोमोडीफिनाइन धाक्साइड
77.	कार्बन मोनोक्साइड	132.	डेमोडोन
78.	कार्बन टेट्राक्लोराइड	133.	डी-आइसोबुटिल पेट्रोक्साइड
79.	कार्बोफिनोथियोन	134.	डी-एन-प्रोपिल पेट्रोक्सीडीकार्बोनेट
80.	सेल्फ्यूलीज नाइट्रेट	135.	डो-सेक-बुटिल पेट्रोक्सीडीकार्बोनेट
81.	क्लोरोटा (क्लोरोटा में प्रयोग)	136.	डायलीफोस
82.	क्लोरोडेन	137.	डायनामोडीनिट्रोफिनोन
83.	क्लोरोफेनविनफॉम	138.	डायटोमिथेन
84.	क्लोरोनिटेड बेंजीनस	139.	डाइसंजायल पेट्रोक्सीडीकार्बोनेट
85.	क्लोरीन	140.	डीक्लोरो एसीटोनोन
86.	क्लोरीन डी आक्साइड	141.	डीक्लोरोबेंजीन-प्रो.
87.	क्लोरीन आक्साइड	142.	डीक्लोरोबेंजीन-पी
		143.	डीक्लोरोइथेन

1	2
144.	डीक्लोरोईथाइल ईथर
145.	डीक्लोरोक्विनोल,— 2, 4
146.	डीक्लोरोक्विनोल,— 2, 6
147.	डीक्लोरोक्विनोक्सी एसिटीक एसिड,— 2, 4 (2, 4 डी)
148.	डीक्लोरोप्रोपेन, 1-2
149.	डीक्लोरोसेलीमिथिक एसिड, 3-5
150.	डीक्लोरोबोस (डी. डी. डी. पी.)
151.	डीकोटोकोए
152.	डीएलहीन
153.	डीएपीसीब्यूटेन
154.	डीइथाइल पेट्रोवसीडीकाबोमेट
155.	डीइथाइलेन ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट
156.	डीइथाइलेन ट्राइएमाइन
157.	डीइथाइलेनग्लाइकोल बुटिल ईथर/डीइथाइलेनग्लाइकोल बुटिल एसिटेट
158.	डीइथाइलेनट्राइएमाइन (डी इ टी ए)
159.	डीग्लाइसेल ईथर
160.	डीहाइड्रोपेट्रोवसीप्रोपेन,— 2, 2
161.	डी ब्राहसीबुटिरिल पेट्रोक्माइड
162.	डीमिफोक्स
163.	डीमेथोएट
164.	डीमिथाइल क्रोसफोरामिडोसाइनीडिक एसिड
165.	डीमिथाइल सेलेट
166.	डीमिथाइल कार्बोमाइल क्लोरोहाइड
167.	डीमिथाइल मिट्रोसिमाइन
168.	डीनाइट्रोक्विनोल, साल्ट्स
169.	डीनाइट्रोडोसिप्रेन
170.	डीनाइट्रो-प्रो-क्विनोल
171.	डीप्रोक्सेन
172.	डीप्रोक्साथियोन
173.	डीप्रोक्सोलिन
174.	डीप्रोक्साइनोन
175.	डीप्रोक्सेरएमाइड प्रोस्टामिथाइल
176.	डीप्रोपीलीन ग्लाइकोमिथाइल ईथर
177.	डीप्रोक्लोडोस
178.	एन्डोसल्फाम
179.	एन्डीन
180.	एपीक्लोरोहाइड्राइन
181.	इपीयम
182.	इपेक्सीप्रोपेन, 1, 2
183.	इपीप्रोन
184.	इथाइथ कार्बमेट
185.	इथाइल ईथर
186.	इथाइल हेक्सासोल्-2
187.	इथाइल मरकेप्टन
188.	इथाइल मेथएक्राइलेट
189.	इथाइल नाइट्रेट
190.	इथाइलएमाइन
191.	इथाइलेन
192.	इथाइलेन कथोरोहाइड्राइन
193.	इथाइलेन डीएमाइन
194.	इथाइलेन डीप्रोमाइड (1, 2—डीप्रोप्रोपेन)
195.	इथिलिन डीक्लोराइड
196.	इथाइलेन ग्लाइकोल डिनानेट्रेट
197.	इथाइलेन थाक्साइड

1	2
198.	इथाइलेनइमाइन
199.	इथाइलथिओ मथेन
200.	फेनग्लोथियोन
201.	फ्लूएनटिन
202.	फ्लोरो,— 4,-2 हाइड्रोक्सीबुटिरिक एसिड एंड साल्ट्स, एस्टरस, एमाइड्स
203.	फ्लोरोएसिट्रिक एसिड एंड साल्ट्स, एस्टरस एमाइड्स
204.	फ्लोरोबुटिरिक एसिड-4, एंड साल्ट्स, एस्टरस एमाइड्स
205.	फ्लोरोक्लोरोबुटिरिक एसिड-4, एंड साल्ट्स, एस्टरस, एमाइड्स
206.	फोर्माइडहाइड
207.	ग्लाइकोनिट्राइल (हाइड्रोक्सीप्रोपीडोमीट्राइल)
208.	गुआनाइल, 1,-4-नाइट्रोगामिनोगुआनाइल-1-डेट्राजेन
209.	हेप्टाक्लोरो
210.	हेक्साक्लोरो साइक्लोपेंटाहाइड
211.	हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेम
212.	हेक्साक्लोरो साइक्लोमिथेन
213.	हेक्साक्लोरोडिब्रॉयो-पी-डीप्रोक्साइन,— 1, 2, 3, 7, 8, 9,
214.	हेक्साक्लोरोप्रोपेन
215.	हेक्सा मिथाइलकोसफोएमाइड
216.	इथा मिथाइल,— 3, 3, 6, 6, 9, 9,— 1, 2, 4, 5—टेट्रोक्वामाइक्लोमोनेन
217.	हेक्वामि ट्राइलोनडीएमाइन
218.	हेक्सेन
219.	हेक्वामीट्रोमोलिन,— 2, 2, 1, 1, 6, 6
220.	हेक्वाकेपेट क्रोमियम
221.	हाइड्राजाइन
222.	हाइड्राजाइन नाइट्रेट
223.	हाइड्रोक्लोरिक एसिड
224.	हाइड्रोजन
225.	हाइड्रोजन पेरॉक्साइड (हाइड्रोक्लोरिक एसिड)
226.	हाइड्रोक्लोरोहाइड (निथिनफाइट गैस)
227.	हाइड्रोजन साइनाइड
228.	हाइड्रोजन क्लोराइड
229.	हाइड्रोजन सेनीनाइड
230.	हाइड्रोजन सल्फाइड
231.	हाइड्रोक्सीनोन
232.	थायोडीन
233.	ब्राइसोबेजान
234.	ब्राइसोडीन
235.	ब्राइसोक्लोरोन डीब्राइसोमाइन
236.	ब्राइसोप्रोपिल ईथर
237.	जबजोन (5-हाइड्रोक्सीनाफथालेन— 1, 4 डायोन)
238.	लीड (इनऑर्गेनिक फ्लूइड एंड डस्ट्स)
239.	लीड 2, 4, 6-ट्रीनिट्रोरोमिक्लोक्वामाइड (लीड सटाइफ्रेनेट)
240.	लीड एजाइड
241.	लेपटोफोस
242.	लिथेन
243.	लरल पेट्रोलियम गैस (एल. पी. जी.)
244.	मैलिक एनहाइड्राइड
245.	मैगनीज एंड कम्पाउण्ड्स
246.	मेक्रिपटो बेंजोथियाकोल
247.	मरकरी भ्रसकाइल
248.	मरकरी क्लोरीनेट
249.	मरकरी मिथेन
250.	मेथाक्राइलिक एमाहाइड्राइड
251.	मेथाक्राइलोनट्राइल
252.	मेथाक्राइलोइल क्लोराइड

1	2	1	2
253.	मेथामिडोक्रोस	308.	ओ ओ-डिहाइल एस-प्रोपायलथियोमिथाइल क्रोसफोरोडिथियोऐट
254.	मिथेन सलफोनेल फ्लोराइड	309.	ब्राक्सामाइल
255.	मिथेनथायोल	310.	ब्राक्सीबोसलकोटोन
256.	मेथोक्सी इथानोन (2-मिथाइल सेलोनोनब)	311.	ब्राक्सीजन (तरल)
257.	मिथोक्सी इथाइलमरक्यूरिक एसिडेट	312.	ब्राक्सीजन डीफ्लोराइड
258.	मिथाइल अकरायलेट	313.	प्रोडोन
259.	मिथाइल अल्कोहल	314.	पारोक्सीन (डिहाइडन-4-नाइट्रोफिनाइल फ्रास्टेट)
260.	मिथाइल एमायलकेटोन	315.	पाराफेट
261.	मिथाइल क्रोमाइड (क्रोमिमिथेन)	316.	पाराथियोन
262.	मिथाइल क्लोराइड	317.	पाराथियोनमिथाइल
263.	मिथाइल क्लोरोफॉर्म	318.	पैरिस डीन [बिस (ऐसीटो) (क्सायेटा बासीनीटो टेट्रा-कॉपर)
264.	मिथाइल क्लोरोहेक्सेन	319.	पेनटाबोरिन
265.	मिथाइल इथाइल केटोन पेरोकसाइड	320.	पेटाब्रोमोडीफिनाइल अमसाइड
266.	मिथाइल हाइड्राजाइल	321.	पेनटाब्रोफिनाइल
267.	मिथाइल ग्राइसोबुटिल केटोन	322.	पेनटाक्लोरी मेक्रथालीन
268.	मिथाइल ग्राइसोबुटिल केटोन पेरोकसाइड	323.	पेनटाक्लोरोइथेन
269.	मिथाइल ग्राइसोसाइनेट	324.	पेनटाक्लोरोफिनाइल
270.	मिथाइल ग्राइसोथियोसाइनेट	325.	पेनटाइरीथिडोल टेट्राफिट्रेड
271.	मिथाइल मेरकेपटेन	326.	पेनटेन
272.	मिथाइल मेथाक्राइलेट	327.	परऐसीटिक एसिड
273.	मिथाइल पाराथियोन	328.	परक्लोरोइथाइलीन
274.	मिथाइल फोसफोनिक् डीक्लोराइड	329.	परक्लोरोमिथाइल मरकेपटेन
275.	मिथाइल-एन, 2, 4, 6-टेट्रा-नाइट्रोऐनीलिन	330.	पेटानोन, 2, 4-मिथाइल
276.	मिथाइलेनक्लोराइड	331.	फिनाइल
277.	मिथाइलेनबिस-4, 4, (2-क्लोरोलाइन)	332.	फिनाइल गलाइसीडल इथर
278.	मिथाइलट्रिक्लोरोसिलेन	333.	फिनाइलीन पी-डीएमएन
279.	मेथिनक्रोस	334.	फिनाइलमरकरी एसिडेट
280.	मोलीब्डेनम एंड कम्पाउण्डस	335.	फौरेट
281.	एन-मिथाइल-एन, 2, 4, 6-एन-टेट्रा-नाइट्रोऐनीलिन	336.	फोसऐसीटिम
282.	नेपथा (कोल तार)	337.	फोसालेन
283.	नेपथाइलएमाइन-2	338.	फोसफोलन
284.	निकल एंड कम्पाउण्डस	339.	फोसफोन (कार बोमाइल क्लोराइड)
285.	निकल टेट्राकार्बोनाइल	340.	फोसफेट
286.	नाइट्रोऐनीलिन-ओ	341.	फोसफामीडोन
287.	नाइट्रोऐनीलिन-पी	342.	फोसफाइन (हाइड्रोजन फोसफाइड)
288.	नाइट्रोबेंजीन	343.	फास्फोरिक एसिड एंड एस्टरस
289.	नाइट्रोक्लोरोबेंजीन-पी	344.	फास्फोरिक एसिड, ब्रोमोइथाइल ब्रोमो (2, 2-डिमिथाइलप्रोपाइल) ब्रोमोइथाइल एस्टर
290.	नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन	345.	फास्फोरिक एसिड ब्रोमोइथाइल ब्रोमो (2, 2-डिमिथाइलप्रोपाइल) क्लोरोइथाइल एस्टर
291.	नाइट्रोइथेन	346.	फास्फोरिक एसिड, क्लोरोइथाइल ब्रोमो (2, 2-डिमिथाइलप्रोपाइल) क्लोरोइथाइल एस्टर
292.	नाइट्रोजन डीब्राक्साइड	347.	फास्फोरस एंड कम्पाउण्डस
293.	नाइट्रोजन ब्राक्साइड	348.	फोसतलान
294.	नाइट्रोजन ट्रिक्लोराइड	349.	फिकरिक एसिड (2, 4, 6-ट्रिमिट्रोफिनोल)
295.	नाइट्रोसिलरिन	350.	पोलीब्रोमिनेटिड डिफिनाइलस
296.	नाइट्रोफिनोल-पी	351.	पोटासियम अक्सीनाइट
297.	नाइट्रोप्रोपेन-1	352.	पोटासियम क्लोरेट
298.	नाइट्रोप्रोपेन-2	353.	प्रोमुटिल (1) 3, 4-डिक्लोरोफिनाइल (अ-ट्रिऐजेनथियोकाबॉक्स 'एसाइड')
299.	नाइट्रोसोडीमिथाइलएमाइन	354.	प्रोपेनसुलटोल-1, 3
300.	नाइट्रोसिलियोन	355.	प्रोपेन, -1, 2-क्लोरो-1, 3-डायोल-डीएसिडेट
301.	ब्राक्टाब्रोमोफिनायल अमसाइड	356.	प्रोपीलेन डिक्लोराइड
302.	श्रोलियम	357.	प्रोपीलेन ब्राक्साइड
303.	श्रोलियलएमाइन	358.	प्रोपीलेनब्रमाइन
304.	ओ ओ-डिहाइल एस-एथाइलसलफीलीमिथाइल क्रोसफोरोथियोऐट	359.	पाराजोक्सेन
305.	ओ ओ-डिहाइल एस-इथाइलसलफोनीलमिथाइल क्रोसफोरोथियोऐट		
306.	ओ ओ-डिहाइल एस-इथाइलथियोमिथाइल क्रोसफोरोथियोऐट		
307.	ओ ओ-डिहाइल एस-ब्राइसोप्रोपाइलथियोमिथाइल क्रोसफोरोथियोऐट		

360. सेलिनियम ट्रेक्सा फ्लोराइड
 361. सेमिका रबाजाइड हाइड्रोक्लोरोइड
 362. सोडियम धरसोनाइट
 363. सोडियम एजाइड
 364. सोडियम क्लोरेट
 365. सोडियम साइनाइड
 366. सोडियम पिकरामेट
 367. सोडियम सेलोनाइट
 368. स्टीरीन 1, 1, 1, 2, 2-टेट्राक्लोरोइथेन
 369. सल्फोटेय
 370. सल्फर डिनलीराइड
 371. सल्फर डिआक्साइड
 372. सल्फर ट्रिआक्साइड
 373. सल्फ्यूरिक एसिड
 374. सलफोनसाइड, 3-क्लोरोप्रोपाइलोक्टाइल
 375. टेल्थ्रियम
 376. टेल्थ्रियम ट्रेक्साफ्लोराइड
 377. टेप
 378. टर्चुफोम
 379. टेट्राब्रोमोबिसफिनोल-ए
 380. टेट्राक्लोरो-2, 2, 5, 6, 2, 5-साइक्लोट्रेक्साडाइडन-1, 4-डायोन
 381. टेट्राक्लोरोडी ब्रैजो-डी-डायोनसोन-2, 3, 7, 8 (टी. सी. डी. डी.)
 382. टेट्राइथाइल लेड
 383. टेट्राफ्लोरोइथेन
 384. टेट्रामिथाइल डीसलाफोटेड्राइम
 385. टेट्रामिथाइलनेड
 386. टेट्रानिट्रोमिथेन
 387. थालियम एंड कम्पाउण्ड्स
 388. थियोनाजीन
 389. थियोनेल क्लोराइड
 390. थ्रिपेट
 391. टोलूइन
 392. टोलूइन 2-4-डीआइसोसाइनेट
 393. टोलूइन-ओ
 394. टोलूइन 2, 6-डीआइसोसाइनेट
 395. ट्राम-1, 4-क्लोरोबुटीन
 396. ट्रि-1, (नाइकलोहेक्सिल) स्टानाइन-1-एच-1, 2, 4-ट्राजोन
 397. ट्रिामिनो-1, 3, 5,-2, 4, 6, दिनिट्रोब्रैजोन
 398. ट्रिब्रोमोफिनोल-2, 4, 6
 399. ट्रिक्लोरो एसिटेल क्लोराइड
 400. ट्रिक्लोरो इथेन
 401. ट्रिक्लोरो नेपथालेन
 402. ट्रिक्लोरोक्लोरा मिथाइल सिलेन
 403. ट्रिक्लोरोडीक्लोरोफिनलसिलेन
 404. ट्रिक्लोरोइथेन-1, 1, 1
 405. ट्रिक्लोरोइथाइलसिलेन
 406. ट्रिक्लोरोइथाइलेन
 407. ट्रिक्लोरोमिथेनसालफिनिल क्लोराइड
 408. ट्रिक्लोरोफिनोल-2, 2, 6
 409. ट्रिक्लोरोफिनोल,-2, 4, 5
 410. ट्रिइथाइलएमाइन
 411. ट्रिइथाइलीनमेलामाइन
 412. ट्रिमिथाइल क्लोरोसिलेन
 413. ट्रिमिथाइलप्रोपेन फोसफाइड
 414. ट्रिनिट्रोएनीलाइन
 415. ट्रिनिट्रोएनीसोल 2, 4, 6
 416. ट्रिनिट्रोब्रैजोन
 417. ट्रिनिट्रोब्रैजोइक एसिड
 418. ट्रिनिट्रोकेसोल
 419. ट्रिनिट्रोफिनटोल 2, 4, 6
 420. ट्रिनिट्रोरेसरोसिनोल,-2, 4, 6 (स्टाइफिक एण्डि)
 421. ट्रिनिट्रोटोलूइन
 422. ट्रिओरथोक्रीसम फास्फेट
 423. ट्रिफिनाइलटिन क्लोराइड
 424. टरपेनटाइन
 425. यूरेनियम एंड कम्पाउण्ड्स
 426. वेनेडियम एंड कम्पाउण्ड्स
 427. विनाइल क्लोराइड
 428. विनाइल फ्लोराइड
 429. विनाइल टोलूइन
 430. वास्फारिन
 433. जाइलेन
 434. जाइलिन
 435. जिंक एंड कम्पाउण्ड्स
 434. जिंकोनियम एंड कम्पाउण्ड्स

अनुसूची-2

[दिखें 2 (क) (2), 4 (1)(ख), 4(2)(1), 5 तथा 6 (1) (ख)]

अनुसूची 4 के अंतर्गत भंडारणों के अतिरिक्त अवस्थापनों में भंडारण

नीचे दी गई मात्राएं समान पदाधिकारी के प्रत्येक अवस्थापन अथवा अवस्थापनों के समूह से संबंधित हैं, जहां अनुमानित परिस्थितियों में, बड़ी दुर्घटनाओं के खतरों में वृद्धि को रोकने के लिए अवस्थापनों के मध्य की दूरी पर्याप्त नहीं है। ये मात्राएं किसी भी स्थिति में ज्ञात पराप्रितारी के उन अवस्थापनों के प्रत्येक समूह पर लागू होती हैं, जहां अवस्थापनों के मध्य की दूरी 500 मीटर से कम है।

(ख) किसी अतिरिक्त भंडारण में अत्यधिक पराधी की अवधिमा गुणवत्ता के निर्धारण के उद्देश्य से किसी भी खतरनाक रसायन का संख्या रखा जाएगा, जो :-

(1) प्रथिष्ठान के नियंत्रण में किसी भी पराधनारण के उस भाग में जिसमें उसका नियंत्रण हो, जो उस स्थान के 500 मीटर के अन्दर हो और उससे जुड़ा हो ;

- (2) उसी अधिष्ठाता के नियंत्रण में कोई अन्य स्थान, सीमा का कोई भाग जो उस स्थान के 500 मीटर के अन्दर हो; तथा
- (3) उसी अधिष्ठाता के नियंत्रण में किसी भी वाहन, जहाज, वायुयान या हीबरक्राफ्ट जिसका इस्तेमाल या तो स्थान पर प्रयत्न इसके 500 मीटर के भीतर भंडारण के उद्देश्य से किया जाता है :

लेकिन इस प्रकार के किसी खतरनाक रसायन का लेबा नहीं रखा जाएगा जो किसी वाहन, जहाज, वायुयान प्रथवा हीबरक्राफ्ट में हो

रसायन	प्रारंभिक मात्राएं (टन)	
	नियम 4, 5 और 7 व 9 के अनुप्रयोग के लिए	नियम 10 से 15 के अनुप्रयोग के लिए
1	2	3
1. एक्रिलोनाइट्रील	350	5000
2. अमोनिया	60	600
3. अमोनियम नाइट्रेट (क)	350	2,500
4. अमोनियम नाइट्रेट उर्बरक (ख)	1250	10000
5. क्लोरीन	10	75
6. अनुसूची 1, अनुच्छेद (ख) (1) में वर्णित ज्वलनशील गैसें	50	300
7. अनुसूची 1, अनुच्छेद (ख) (11) में वर्णित उच्च ज्वलनशील तरल	10,000	10,0000
8. द्रव आक्सीजन	200	2000
9. सोडियम क्लोरेट	25	250
10. सल्फर डाइ अक्साइड	20	600
11. सल्फर ट्राइ आक्साइड	15	100

(क) यह अमोनियम नाइट्रेट तथा अमोनियम नाइट्रेट में उन मिश्रणों पर लागू होता है जिनमें अमोनियम नाइट्रेट तथा अमोनियम नाइट्रेट के जमीन भौत से प्राप्त नाइट्रोजन के तत्व भार से 28 प्रतिशत अधिक हों जिनमें अमोनियम नाइट्रेट की सांद्रता भार से 90 प्रतिशत अधिक होती है।

(ख) यह सीधे अमोनियम नाइट्रेट उर्बरकों तथा उर्बरकों के मिश्रणों पर लागू होता है जहां अमोनियम नाइट्रेट से प्राप्त नाइट्रोजन का तत्व भार से 28 प्रतिशत अधिक है (एक मिश्रण उर्बरक में अमोनियम नाइट्रेट तथा फास्फेट तथा/या पोटेशम शामिल हों)।

अनुसूची—3

[देखें नियम-1(क) (3), 5 तथा 6(1) (क)]

नियम-7 से 12 के बिनियमन के लिए खतरनाक रसायनों की सूची

नीचे दो गई मात्राएं सभ्य पराधिकारी के प्रत्येक अवस्थापन प्रथवा अवस्थापनों के समूह से संबंधित हैं, जहां अनुमानित परिस्थितियों में बड़ी दुर्घटनाओं के खतरों में वृद्धि को रोकने के लिए अवस्थापनों को मंडा को तुरंत पराप्त नहीं है। ये मात्राएं किसी भी स्थिति में समान पराधिकारी के उन अवस्थापनों के प्रत्येक समूह पर लागू होती हैं, जहां अवस्थापनों के समूह की दूरी 500 मी० से कम है।

(ख) किसी अकेले भंडारण में खतरनाक पदार्थ की अवसीमा गुणवत्ता के निर्धारण के उद्देश्य से किसी भी खतरनाक रसायन की तौ रखा जायगा, जो :—

- (1) अधिष्ठाता के नियंत्रण में किसी भी वाहन/वाहन के उस भाग में जिसमें उसका नियंत्रण हो, जो उस स्थान के 500 मीटर के अन्दर हो और उससे मिला हो,
- (2) उसी अधिष्ठाता के नियंत्रण में कोई अन्य स्थान, सीमा का कोई भाग जो इस स्थान के 500 मीटर के अन्दर हो, तथा
- (3) उसी अधिष्ठाता के नियंत्रण में किसी भी वाहन, जहाज, वायुयान या हीबरक्राफ्ट जिसका इस्तेमाल या तो स्थान पर प्रयत्न इसके 500 मीटर के भीतर भंडारण के उद्देश्य से किया जाता है,

लेकिन इस प्रकार के किसी खतरनाक रसायन का लेबा नहीं रखा जायगा जो किसी वाहन, जहाज, वायुयान प्रथवा हीबरक्राफ्ट में हो।

भाग-1

नाभोविष्ट रसायन

क्रम सं.	रसायन	प्रारंभिक मात्रा		सीएस संख्या
		नियम 5, 7-9 तथा 13-15 के अनुप्रयोग के लिए	नियम 10-12 के अनुप्रयोग के लिए	
1	2	3	4	5
गुण 1--विषैले पदार्थ				
1.	एलडीकाई	100 कि. ग्रा.		116-06-3
2.	4 एमिनोडिफेनाइल	1 कि. ग्रा.		92-6-1
3.	एमिटोन	1 कि. ग्रा.		78-53-5
4.	एनाथेसाइन	100 कि. ग्रा.		494-52-0
5.	अरलेनिक पेनटोक्साइड, अरलेनिक (5) अम्ल और लवण	500 कि. ग्रा.		
6.	अरलेनिक ट्राइक्साइड, अरलेनिक (3) अम्ल और लवण	100 कि. ग्रा.		
7.	अरसाइन (अरलेनिक ट्राइक्साइड)	10 कि. ग्रा.		774-42-1
8.	एजिफोस-इथाइल	100 कि. ग्रा.		8642-71-9
9.	एजिनफोस-मिथाइल	100 कि. ग्रा.		86-50-0
10.	बेजिडाइन	1 कि. ग्रा.		92-87-5
11.	बेजिडाइन लवण	1 कि. ग्रा.		
12.	बेरियमियम (पाउडर, मिश्रण)	10 कि. ग्रा.		
13.	बिस 2--क्लोरोइथाइल (सल्फाइड)	1 कि. ग्रा.		505-60-2
14.	बिस(क्लोरोमिथाइल) ईथर	1 कि. ग्रा.		542-88-1
15.	कारबीफुरल	100 कि. ग्रा.		1563-66-2
16.	कार्बोफेन्थियोन	100 कि. ग्रा.		786-19-6
17.	क्लोरोफेनबिनफोस	100 कि. ग्रा.		470-90-6
18.	4-(क्लोरोफोरमेल) 'मारफॉमिन	1 कि. ग्रा.		15159-40-7
19.	क्लोरोमिथाइल/मिथाइल ईथर	1 कि. ग्रा.		197-30-2
20.	कॉबाल्ट (घातु अक्साइड, कार्बोरेट, नाइट्राइड, पाउडर के रूप में)	1 टन		
21.	फीमिडाइन	100 कि. ग्रा.		535-89-7
22.	सैथोएट	100 कि. ग्रा.		3734-95-0
23.	साइक्लोहेक्सिमाइड	100 कि. ग्रा.		66-81-9
24.	डेमिटन	100 कि. ग्रा.		8064-48-3
25.	डायलिफोस	100 कि. ग्रा.		10311-84-9
26.	00-डिथाइल एस-इथाइलसंकोनिल मिथाइल फासफोरोथियोएट	100 कि. ग्रा.		2588-05-8
27.	00-डिथियाइल एस-इथाइलसंकोनिल मिथाइल फासफोरो थायोएट	100 कि. ग्रा.		2588-06-9
28.	00-डिथाइल एस-इथाइलथियोमिथाइल फासफोरोथियोएट	100 कि. ग्रा.		2600-69-3
29.	00-डिथाइल एस-ब्राह्मोप्रोपाइलथियोमिथाइल फासफोरोथियोएट	100 कि. ग्रा.		78-52-4
30.	00-डिथाइल एस-प्रोफिलथियोमिथाइल फासफोरोथियोएट	100 कि. ग्रा.		3309-68-0
31.	डेमीफोस	100 कि. ग्रा.		115-26-4
32.	डिमिथाइलकारबामोइल क्लोराइड	1 कि. ग्रा.		79-44-7
33.	डिमिथाइलनाइट्रोसेमाइन	1 कि. ग्रा.		62-75-9
34.	डिमिथाइलफासफोरोएट डीसा नीडिक अम्ल	1 टन		62917-41-9
35.	डिकैमाइनाल	100 कि. ग्रा.		82-66-0

1	2	3	4	5
36.	डिसलफोटोन	100 कि.ग्रा.		298-04-4
37.	ईपीएन	100 कि.ग्रा.		2104-64-5
38.	इथिओन	100 कि.ग्रा.		563-12-2
39.	फेनसलफोथियोन	100 कि.ग्रा.		115-90-2
40.	फैलूयनितिल	100 कि.ग्रा.		4301-50-2
41.	फ्लुरोएसिटिक अम्ल,	1 कि.ग्रा.		144-49-0
42.	फ्लुरोएसिटिक अम्ल, लवण	1 कि.ग्रा.		
43.	फ्लुरोएसिटिक अम्ल एस्टर	1 कि.ग्रा.		
44.	फ्लुरोएसिटिक अम्ल, एमाइड्स	1 कि.ग्रा.		
45.	4-फ्लुरोबुट्रिक अम्ल	1 कि.ग्रा.		462-23-7
46.	4-फ्लुरोबुट्रिक एसिड, लवण	1 कि.ग्रा.		
47.	4-फ्लुरोबुट्रिक अम्ल-एस्टर	1 कि.ग्रा.		
48.	4-फ्लुरोबुट्रिक अम्ल-एमिडिस	1 कि.ग्रा.		
49.	4-फ्लुरोक्रोटोनिक अम्ल	1 कि.ग्रा.		37759-72-1
50.	4-फ्लुरोक्रोटोनिक अम्ल, लवण	1 कि.ग्रा.		
51.	4-फ्लुरोक्रोटोनिक अम्ल, एस्टर	1 कि.ग्रा.		
52.	4-फ्लुरोक्रोटोनिक अम्ल, एमिडिस	1 कि.ग्रा.		
53.	4-फ्लुरो-2-हाइड्रोक्सिबुट्रिक अम्ल	1 कि.ग्रा.		
54.	4-फ्लुरो-2-हाइड्रोक्सिबुट्रिक अम्ल, लवण	1 कि.ग्रा.		
55.	4-फ्लुरो-2-हाइड्रोक्सिबुट्रिक अम्ल, एस्टर	1 कि.ग्रा.		
56.	4-फ्लुरो-2-हाइड्रोक्सिबुट्रिक अम्ल, एमिडिस	1 कि.ग्रा.		
57.	ग्लाइकोलोनोहाइड्रोन (हाइड्रोक्सिएसिटोनाहाइड्रोन)	100 कि.ग्रा.		1907-16-4
58.	1, 2, 3, 7, 8, 9-हेक्साक्लोरोडिबेन्जो-पी-डायोक्सीन	100 कि.ग्रा.		19408-74-3
59.	हेक्साभियाइलफासफोरेमाइड	1 कि.ग्रा.		600-3-9
60.	हाइड्रोजनसोनाहाइड्रोन	10 कि.ग्रा.		7783-07-5
61.	हाइड्रोबेन्जोन	100 कि.ग्रा.		297-78-9
62.	हाइड्रोड्रिन	100 कि.ग्रा.		465-73-6
63.	जुगलोन (5-हाइड्रोक्सिनेपथेलीन-1-4-डायोन)	100 कि.ग्रा.		481-39-0
64.	4, 4'-मियाइलीनबिस (2-क्लोरोएनिलीन)	10 कि.ग्रा.		101-14-4
65.	मियाइलब्राइसोसाइनेट	150 कि.ग्रा.	150 कि० ग्रा०	624-83-9
66.	मेविनफोस	100 कि.ग्रा.		7786-34-7
67.	2-नेपथिलेमाइड	1 कि.ग्रा.		91-59-8
68.	निकल (धातु, ग्राफाइट, कार्बोनेट, सल्फाइड, पाउडर के रूप में)	1 टन		
69.	निकल टेट्राकार्बोनाइड	10 कि.ग्रा.		13463-39-3
70.	नाक्सोडिसलफोटन	100 कि.ग्रा.		2497-07-6
71.	नाक्सोजनडि, फ्लुराइड	10 कि.ग्रा.		7783-41-7
72.	पैराक्सेन (डिब्रथाइल 4-नाइट्रोफिनाइल फासफेट)	100 कि.ग्रा.		311-45-5

1	2	3	4	5
73. पेरामिडिन		100 कि.ग्रा.		53-33-2
74. पेरामिडिन-मिथाइल		100 कि.ग्रा.		298-00-0
75. पेन्टामेरेन		100 कि.ग्रा.		19624-22-7
76. फॉरेट		100 कि.ग्रा.		298-02-2
77. फोस्फोसीटिम		100 कि.ग्रा.		4104-14-7
78. फॉसजीन (कार्बोनिल क्लोराइड)		750 कि.ग्रा.	750 कि.ग्रा.	75-44-5
79. फॉसफेमिडिन		100 कि.ग्रा.		13171-21-6
80. फॉसफिन (हाइड्रोजन फॉसफाइड)		100 कि.ग्रा.		7803-51-2
81. प्रोमुरिट (1-), 3, 4 डिक्लोरोफिनाइल-3-ट्राइसजेनबर्भियोकार्बोसैल्फाइड		100 कि.ग्रा.		5836-73-7
82. 1, 3-प्रोपेनसुल्डोन		1 कि.ग्रा.		1120-71-4
83. 1-प्रोपेन-2-क्लोरो-1, 3-डिओल डाइएथरिडेट		10 कि.ग्रा.		1118-72-6
84. पायरेथ्रीन		100 कि.ग्रा.		108-34-9
85. सेलिनियमहेक्साफ्लोराइड		10 कि.ग्रा.		7783-79-1
86. सोडियमसेलीनाइड		100 कि.ग्रा.		10102-18-9
87. स्टीबाइन (एटीमोनीहाइड्राइड)		100 कि.ग्रा.		7803-52-3
88. सल्फोटेप		100 कि.ग्रा.		3689-24-5
89. सल्फर डाइक्लोराइड		1 टन		10545-99-0
90. टेलुरियम हेक्साफ्लोराइड		100 कि.ग्रा.		7783-80-4
91. टीईपीपी		100 कि.ग्रा.		107-49-43
92. 2, 3, 7, 8-टेट्राक्लोरोडाई बेन्जो-पी-डायोक्सिन (टीसीडीडी)		1 कि.ग्रा.		1746-01-6
93. टेट्रा मिथाइलीनडाइसल्फोटेट्रासाइन		1 कि.ग्रा.		60-12-6
94. थायोनेत्रिन		100 कि.ग्रा.		297-97-2
95. थिपेट (2, 4-डिमिथाइल-1, 3-डिथायोलिन-2-कार्बोक्सीलडिहाइड 0-मियाइलकार्बोमोइलप्रोक्साइड)		100 कि.ग्रा.		26419-73-3
96. ट्राइक्लोरोमिथेनसलफिनेल क्लोराइड		100 कि.ग्रा.		594-42-3
97. 1-ट्राई (साइक्लोहेक्सिल) स्टेनल-1 एन-1, 2, 4-ट्राइएजॉल		100 कि.ग्रा.		41083-11-3
98. ट्राईक्लोरोमिथेनमिथाइल		10 कि.ग्रा.		51-18-3
99. थारफेरिन		100 कि.ग्रा.		81-81-2
ग्रुप-2 अद्वितीय पदार्थ				
100. एसीटोन साइनाइड (2-साइनाइडोप्रोपेन-2-01)		200 टन		75-86-3
101. एक्रोसिन (2-प्रोटेनस)		20 टन		107-02-8
102. एथीलीनीडाइल		20 टन	200 टन	107-13-1
103. एथिल एथकोइल (2-प्रोपेन-1-प्रोप)		200 टन		107-18-6
104. एथिलेमाइन		200 टन		7664-41-7
105. प्रमॉनिया		50 टन	500 टन	7664-41-7
106. प्रॉमीग		40 टन		7726-95-6
107. कार्बन डाइसल्फाइड		20 टन	200 टन	75-15-0
108. क्लोरीन		50 टन	100 टन	7782-50-5
✓ 109. डिफिनिल मिथेन डी ग्राइसोबसाइनेट (एम डी ग्राई)		20 टन		101-68-8
110. इथेलीन डीप्रोमाइड (1, 2-डिप्रोमाइडेन)		5 टन		106-93-4
111. इथेलीनइमाइन		50 टन		151-56-4
112. फोरमलडिहाइड (संश्लेषण 90 प्रतिशत)		6 टन		50-00-0
113. हाइड्रोजन क्लोराइड (लिक्विडफाइन)		25 टन	250 टन	7647-01-0

1	2	3	4	5
114.	हाइड्रोजनसार्ईनाइट	5 टन	20 टन	74-90-8
115.	हाइड्रोजनपल्पोराइट	5 टन	50 टन	7664-39-3
116.	हाइड्रोजनसल्फाइट	5 टन	50 टन	7783-06-4
117.	मिथाइल प्रोमाइट (शोमोमिथेन)	20 टन		74-83-9
118.	नाइट्रोजनआक्साइट	50 टन		111504-93-1
119.	प्रोपीलिनइमाइन	50 टन		75-55-8
120.	सल्फर डाइआक्साइट	20 टन	250 टन	7446-09-5
121.	सल्फर ट्राइआक्साइट	15 टन	75 टन	7446-11-9
122.	टेन्टा	5 टन		78-00-1
123.	टेन्टामिथाइल सॉल	5 टन		75-74-1
124.	सुलिन आर्डी-आइसो साइनेट (डीबीआर्डी)	10 टन		584-84-9 75-01-4
ग्रुप-3—अस्थायिक प्रतिश्रितारमक पदार्थ				
125.	एसीटिलीन (इथाइन)	5 टन		74-86-2
126.	क. शोमोनियम नाइट्रेट (1) ख. अन्नरक के रूप में शोमोनियम नाइट्रेट (2)	350 टन 1250 टन	2500 टन	6484-52-2
127.	2, 2-बिस (टरटबुटाइल परोक्सी) बूटेन (सांद्रता ≥ 75 प्रतिशत)	5 टन		2167-23-9
128.	1, -1 बिन (टरट-बुटेन परोक्सी (साइक्लोहेक्सेन सांद्रता ≥ 80 प्रतिशत)	5 टन		3006-86-8
129.	टरट-बुटेन परोक्सी) सौट-ट सांद्रता ≥ 70 प्रतिशत	5 टन		107-71-1
130.	टरट-बुटेनपरोक्सीआइसो बुराईरेट (सांद्रता ≥ 80 प्रतिशत)	5 टन		109-13-7
131.	टरटबुटेन परोक्सीआइसोप्रोपल कारबोरेट (सांद्रता ≥ 80 प्रतिशत)	5 टन		2372-21-6
132.	टरट बुटेनप्रोमसांभोलिएट (सांद्रता ≥ 80 प्रतिशत)	5 टन		1931-62-0
133.	टरटबुटेनप्रोक्सीपिथेलेट (सांद्रता ≥ 77 प्रतिशत)	50 टन		927-07-1
134.	आर्डीजिलप्रोक्सीआर्डी कारबोनेट (सांद्रता ≥ 90 प्रतिशत)	5 टन		2144-45-8
135.	आर्डीसेक-बुटेन प्रोक्सीकारबोनेट (सांद्रता ≥ 80 प्रतिशत)	5 टन		19910-65-7
136.	डी इथाइनपीक्सीआर्डी कारबोनेट (सांद्रता ≥ 80 प्रतिशत)	50 टन		14666-78-5
137.	2, 2-डिहाइड्रोफिरोक्सी प्रोपेन (सांद्रता ≥ 80 प्रतिशत)	5 टन		2614-76-8
138.	डिआइसोबुटाइरल परोक्साइट (सांद्रता 50 प्रतिशत)	50 टन		3437-84-1
139.	डि-एन-प्रोपिल प्रोक्सी आर्डीकारबोनेट (सांद्रता 80 प्रतिशत)	5 टन		16066-33-7
140.	इथाइलिन आक्साइट	5 टन	50 टन	73-21-3
141.	इथाइल नाइट्रेट	50 टन		625-53-1
142.	3, 3, 6, 6, 9, 9-ट्रिसामिथाइल-1, 2, 4, 5-टेन्टोक्साइक्लोपेन (सांद्रता 75 प्रतिशत)	50 टन		22397-33-7
143.	हाइड्रोजन	2 टन	50 टन	1333-74-7
144.	तरल आक्सीजन	300 टन		7782-44-7
145.	मिथाइलइथाइल फिटॉल परोक्साइट (सांद्रता 60 प्रतिशत)	50 टन		1338-23-4
146.	मिथाइल आइसोबुटेनफिटॉल परोक्साइट (सांद्रता 60 प्रतिशत)	50 टन		37206-20-5
147.	परएसिटिक एसिड (सांद्रता 60 प्रतिशत)	50 टन		79-21-0
148.	प्रोपीलिन आक्साइट	5 टन		55-56-9
149.	सोडियम क्लोरेट	25 टन		7775-09-9
ग्रुप 4—निस्फोटक पदार्थ				
150.	बेरियम एजाइड	50 टन		18810-58-7
151.	बिस (2, 4, 6-ट्राइनाइट्रोफिनाइल) एमाइन	50 टन		131-73-7
152.	क्लोरोट्राइनाइट्रोबेनजीन	50 टन		28260-61-9
153.	सेलूजो, नाइट्रेट (इसमें 12.6 प्रतिशत नाइट्रोजन है)	50 टन		9004-70-0
154.	साइक्लोटेन्टामिथाइलीन ट्राइनाइट्रेट	50 टन		2691-41-0

1	2	3	4	5
155.	साइक्लोड्राईमिथाइलीन ट्रीनिट्रोमाइन	50 टन		121-92-4
156.	साइक्लोडिनाइट्रोफिनील	10 टन		7008-81-3
157.	डिथाइलिन ग्लाइकोल डिनाइट्रेट	10 टन		628-96-6
158.	डिनाइट्रोफिनील, लवण	50 टन		
159.	इथाइलिन ग्लाइकोल डिनाइट्रेट	10 टन		628-96-6
160.	1-गुनिल-4-नाइट्रोसेमिनोनिन-1-टेट्रास्कीन	10 टन		109-27-3
161.	2, 2', 4, 4, 6, 6'-डूक्सानाइट्रोस्टीलकीन	50 टन		20062-22 0
162.	हाई ड्रेजिन नाइट्रेट	50 टन		13464-97-6
163.	सीड एजाइड	50 टन		13424-40-9
164.	सीड इस्टफनेट (सीड 2, 4, 6-ट्राइनाइटोट रिसोर्सोनीक्साइड)	50 टन		15245-44-0
165.	मरकरी फुलमिनेट	10 टन		20820-45-5
				628-86-4
166.	एन-मिथाइल- एन-2, 4, 6-ट्रेट्रानाइट्रोएनिलिन	50 टन		479-45-8
167.	नाइट्रोगिलीसरीन	10 टन	10 टन	55-63-0
168.	पेन्टाहरीथिटोल टेट्रानाइट्रेट	50 टन		78-11-5
169.	गिकारिक एसिड (2, 4, 6-ट्रिनाइट्रोफिनील)	50 टन		83-89-8
170.	सोडियम पिकरेनेट	50 टन		831-52-7
171.	गिट्राइपनिक एसिड (2, 4, 6-(ट्रिनाइटोरिसोर सिनोल)	50 टन		82-71-3
172.	1, 3, 5 ट्राइएमिनो-2, 4, 6-ट्राईनाइट्रोबेनजीन	50 टन		3058(—) 38-6
173.	ट्राईनाइट्रोएनीलिन	50 टन		20952-42-1
174.	2, 4, 6-ट्राईनाइट्रो एनीसोल	50 टन		606-35-9
175.	ट्राइनाइट्रोबेनजीन]	50 टन		25377-32-6
176.	ट्राइनाइट्रोबेनजोइक एसिड	50 टन		35860-50-5
				129-66-8
177.	ट्राइनाइट्रोकेसोल	50 टन		28905-71-7
178.	2, 4, 6-ट्राइनाइट्रोफेनीटोल	50 टन		4732-14-3
179.	2, 4, 6-ट्राईनाइट्रोटोसुएन	50 टन	50 टन	118-96-7

भाग-- 2

खण्ड-1 में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं किये गए प्रदार्थों के वर्ग

ग्रुप-5 ज्वलनशील पदार्थ

ज्वलनशील गैसों

वे पदार्थ जो सामान्य दाब में गैसीय अवस्था में हैं और हवा के साथ मिलाने

पर ज्वलनशील हो जाते हैं और जिनका सामान्य दाब में स्थायित्व प्वाइंट सामान्य दाब में

20 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा उससे नीचे है

15 टन

200 टन

2. अल्पधिक ज्वलनशील द्रव :

वे पदार्थ जिनका फ्लेम प्वाइंट 21 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है और सामान्य दाब में 1000 टन

50000 टन

जिनका स्थायित्व प्वाइंट 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है ।

3. ज्वलनशील द्रव :

वे पदार्थ जिनका फ्लेम प्वाइंट 55 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है और जो दाब में भी

सामान्य रहती है, अधिक दाब और अधिक ताप जैसे विशेष संघटन दशाओं में

बड़ी दुर्घटना हो सकती है ।

25 टन

200 टन

(1) यह अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिनमें अमोनियम नाइट्रेट से प्राप्त होने वाला नाइट्रोजन भार में 28 प्रतिशत से अधिक हो और अमोनियम नाइट्रेट का नरल घोल संघट अमोनियम नाइट्रेट से भार में 90 प्रतिशत अधिक हो ।

(2) यह अमोनियम नाइट्रेट उर्वरकों और योगिक उर्वरकों के लिए प्रयुक्त होता है जहाँ अमोनियम नाइट्रेट से प्राप्त नाइट्रोजन भार में 29 प्रतिशत से अधिक हो (योगिक उर्वरक में अमोनियम नाइट्रेट के साथ फास्फेट और/या पोटैशम होता है) ।

अनुसूची-4

[विधेय 2 (एक) (1)]

1. कार्बनिक अथवा अकार्बनिक रसायनों के उत्पादन, संसाधन अथवा खोदन हेतु स्थापनायें जिसमें अन्वेषण के साथ निम्न रसायनों का प्रयोग होता है:
 - (क) अल्काइलेशन
 - (ख) प्रमोनोलाइसिस द्वारा एनीनेशन
 - (ग) कार्बोनीलेशन
 - (घ) एनीमूकन
 - (ङ) हाइड्रोक्सीनेशन
 - (च) एस्टरीफिकेशन
 - (छ) हेलोनीनेशन और हेलोजिनन का उत्पादन
 - (ज) हाइड्रोनीनेशन
 - (झ) हाइड्रोलाइसिस
 - (ट) आक्सीकरण
 - (ड) पोलीमैरीजेशन
 - (ढ) सल्फोनेशन
 - (ढ) डीसल्फरीजेशन, सल्फरकारक यौगिकों का उत्पादन और स्थानान्तरण
 - (ण) नाइट्रेशन और नाइट्रोजन कारक यौगिकों का उत्पादन
 - (न) फास्फोरन कारक यौगिकों का उत्पादन
 - (न) कीटनाशक और औषधिये उत्पाद बनाना
 - (द) आसवन
 - (ध) निष्कर्षण
 - (म) विलयन
 - (प) मिश्रण
2. पेट्रोनियम अथवा पेट्रोलियम उत्पादों के आसवन, शोधन अथवा अन्य प्रक्रियाओं हेतु स्थापनायें।
3. भस्मीकरण अथवा रासायनिक विघटन द्वारा ठोस अथवा तरल पदार्थों के सम्पूर्ण अथवा आंशिक निपटान हेतु स्थापनाएं।
4. ऊर्जा रिसोर्स उदाहरणार्थ एल पी जी, एल एन जी, एम एन जी के उत्पादन, संसाधन अथवा उपचार हेतु स्थापनाएं।
5. कोयला अथवा लिग्नाइट के शुष्क आसवन हेतु स्थापनाएं।
6. गैट प्रोसेस अथवा विद्युत ऊर्जा के द्वारा जल अथवा प्रवाह उत्पादन के लिए स्थापनाएं।

अनुसूची 5

[नियम 2(ब) और 3 देखिए]

क्र.सं.	विधेय समर्थन सहित प्राधिकरण	कार्त्तव्य और तत्स्थानी नियम
1	2	3
1.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन पर्यावरण और वन मंत्रालय।	(1) नियम 2(क)(i), 2(क)(ii) और 2(क)(iii) के अनुसार परिसंकेतमय रसायनों की अधिसूचना
2.	घायात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन प्रवात और निर्यात मुख्य नियंत्रक।	नियम 17 के अनुसार परिसंकेतमय रसायनों का आयात।
3.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन यथास्थिति, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	(i) परिसंकेतमय रसायनों के एकत्र भंडारण की दृष्टि निर्देशों और प्रक्रियाओं का निश्चिन्तित के बारे में प्रवर्तन (1) नियम 5 (1) और 5(2) के अनुसार बंधक दुर्घटनाओं की अधिसूचना। (ii) नियम 7 और 9 के अनुसार रथनों की अधिसूचना (iii) नियम 10 से 12 के अनुसार एकत्र भंडारणों की बाधक सुझा रिपोर्टें। (iv) नियम 13 के अनुसार स्वतंत्र जांचक नियुक्त करना।

(1)

2

4. कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन नियुक्त कारखाना मुख्य निरीक्षक

5. शॉक कर्मकार (सुरक्षा) स्वास्थ्य और कल्याण, अधिनियम, 1986 के अधीन नियुक्त शॉक सुरक्षा मुख्य निरीक्षक।

6. धान अधिनियम, 1952 के अधीन नियुक्त अन्न मुख्यालय निरीक्षक

7. धाणविक्रम ऊर्जा अधिनियम, 1972 के तहत नियुक्त धाणविक्रम ऊर्जा विनियामक बोर्ड।

8. भारतीय विस्फोटक अधिनियम और नियम 1983 के अधीन नियुक्त मुख्य विस्फोटक निरीक्षक।

9. राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित जिला कलेक्टर या जिला आपात प्राधिकरण।

(2) नियम 17 के अनुसार परिसंकटमय रसायनों का धायात और परिसंकटमय रसायनों के धायात पर निदेशों और प्रक्रिया का प्रवर्तन।

औद्योगिक संस्थापनों और एकल भंडारण की बाबत निर्देशों और प्रक्रिया का प्रवर्तन जो परिसंकटमय रसायनों और पाइपलाइनों और अन्तर्राज्यीय पाइप लाइनों के संबंध में निम्नलिखित के बारे में हैं :—

(1) नियम 6(1) और 5(2) के अनुसार व्यापक दुर्घटनाओं की अधिसूचना।

(2) नियम 7-9 के अनुसार स्थलों की अधिसूचना।

(3) नियम 10 से 12 के अनुसार सुरक्षा रिपोर्टें।

(4) नियम 13 के अनुसार स्थल और धायात योजना का बनाना।

(5) इस अनुसूची के क्रमांक 9 के अनुसार जिलाधीन या जिला आपातकाल प्राधिकारी के परामर्श से स्थल से दूर धायातकाल योजनाएं तैयार करना।

ऐसे औद्योगिक संस्थापनों और एकल भण्डारणों की बाबत जो परिसंकटमय रसायनों और पाइप लाइनों के संबंध में कार्य करते हैं, निम्नलिखित के बारे में निर्देश और प्रक्रियाओं का प्रवर्तन :—

(1) नियम 5(1), और 5(2) के अनुसार व्यापक दुर्घटनाओं की अधिसूचना।

(2) नियम 7 से 9 के अनुसार स्थलों की अधिसूची।

(3) नियम 10 से 12 के अनुसार सुरक्षा रिपोर्टें।

(4) नियम 13 के अनुसार स्थल पर धायात योजना का बनाना।

(5) इस अनुसूची के क्रमांक 9 के अनुसार जिलाधीन या जिला आपातकाल प्राधिकारी के परामर्श से स्थल से दूर धायातकाल योजनाएं तैयार करना।

ऐसे औद्योगिक संस्थापनों और एकल भण्डारणों की बाबत जो परि संकटमय रसायनों और पाइप लाइनों और अन्तर्राज्यीय पाइप लाइनों के संबंध में कार्य करते हैं, निम्नलिखित के बारे में निर्देश और प्रक्रियाओं का प्रवर्तन :—

(1) नियम 5(1) और 5(2) के अनुसार व्यापक दुर्घटनाओं की अधिसूचना।

(2) नियम 7 से 9 के अनुसार स्थलों की अधिसूची।

(3) नियम 10 से 12 के अनुसार सुरक्षा रिपोर्टें।

(4) नियम 13 के अनुसार स्थल पर धायात योजना का बनाना।

(5) इस अनुसूची के क्रमांक 9 के अनुसार जिलाधीन या जिला आपातकाल प्राधिकारी के परामर्श से स्थल से दूर धायातकाल योजनाएं तैयार करना।

धाणविक्रम ऊर्जा अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार निर्देश और प्रक्रियाओं का प्रवर्तन।

भारतीय विस्फोटक अधिनियम और नियम, 1983 के प्रावधानों के अनुसार निर्देश और प्रक्रियाओं का प्रवर्तन।

नियम 14 के अनुसार स्थल से दूर धायात योजना बनाना।

अनुसूची 6

[नियम 5(1) देखिए]

किसी व्यापक दुर्घटना की अधिसूचना की बाबत की जाने वाली जातकारी

विशिष्ट दुर्घटना की रिपोर्ट संख्या:

1. साधारण प्रकृति:

- (क) स्थान का नाम
 (ख) विनिर्माण का नाम और पता, (टेलीफोन/टेलीक्स संख्या का भी उल्लेख करें)
 (ग) (1) रजिस्ट्रेशन संख्या
 (2) अनुज्ञप्ति संख्या (जो स्थल पर प्रथम कारखाना अधिनियम की लागू किसी काम के प्रथम आवंटित की गई हो)
 (घ) (1) औद्योगिक क्रियाकलाप की प्रकृति (इस बात का उल्लेख करें कि वास्तव में किस चीज का विनिर्माण, संभारण प्राधिकृत जात है)।
 (2) चार संख्या स्तर पर राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण, 1987

--	--

- (2) व्यापक दुर्घटना का प्रकार

विस्फोट

अग्नि

खतरनाक पदार्थ का उत्सर्जन

उत्सर्जित पदार्थ

- (3) व्यापक दुर्घटना का वर्णन

(क) दुर्घटना की तारीख, पारी और घंटे

- (ख) विभाग, अनुभाग और वह वास्तविक स्थल जहाँ दुर्घटना घटित हुई।

- (ग) विभाग/अनुभाग में चल रही प्रक्रिया/प्रचालन जहाँ दुर्घटना घटित हुई (यदि आवश्यक हो तो एक गति खांटे भी संलग्न करें)

- (घ) दुर्घटना की परिस्थितियाँ और उसमें अन्तर्भूत खतरनाक पदार्थ

- (4) दुर्घटना के अल्पकालीन प्रभावों को दूर करने के लिए किए गए आपात उपाय और परिकल्पित उपाय।

- (5) व्यापक दुर्घटना के कारण नाम है (विनिश्चित किए जाएं) अज्ञात है

--

जानकारी यथा-संभव सीधे प्रधान की जाएगी

- (6) नुकसान की प्रकृति और मात्रा

- (क) स्थापन के भीतर—दुर्घटनाएं

..... मारे गए
 क्षतिग्रस्त
 विधायक

-- व्यापक दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति

-- तात्कालिक नुकसान

-- पर्यावरण खतरा अब भी विद्यमान है

-- खतरा अब विद्यमान नहीं है।

- (ख) स्थापन के बाहर

-- दुर्घटनाएं

..... मारे गए
 क्षतिग्रस्त
 विधायक

व्यापक दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति

-- तात्कालिक नुकसान

- पर्यावरण का मुकसान
- खतरा अब भी विद्यमान है
- खतरा अब विद्यमान नहीं है
- (7) व्यक्तियों और पर्यावरण पर दुर्घटना के प्रभाव के निर्धारण के लिए उपलब्ध आंकड़े।
- (8) (क) दुर्घटना के मध्यम या दीर्घकालीन प्रभावों को दूर करने के लिए,
(ख) इसी प्रकार की व्यापक दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति का निवारण करने के लिए पहले ही की गई या परिकल्पित कार्यवाहियाँ।
(ग) कोई अन्य सुसंगत जानकारी।

अनुसूची 7

[नियम 7(1) देखिए]

स्थलों की अधिसूचना के लिए दी जाने वाली जानकारी

भाग 1

किसी स्थल की अधिसूचना सम्मिलित की जाने वाली विशिष्टियाँ।

1. अधिसूचना करने वाले नियोजक का नाम और पता
2. उस स्थल का पूरा डाक पता जहाँ अधिसूचना किए जाने योग्य औद्योगिक क्रियाकलाप चलाया जाएगा।
3. अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले स्थल और किसी निकट स्थल का वह क्षेत्र जिस पर अनुसूची 2 और 3 का ख (ii) के प्राधार पर विचार करना अपेक्षित है।
4. वह आंकड़े जिस पर यह प्रस्तावित है कि अधिसूचना किए जाने योग्य औद्योगिक क्रियाकलाप प्रारंभ होगा या यदि वह पहले ही प्रारंभ हो चुका है, तो उः आशय का एक कथन।
5. प्रत्येक खतरनाक पदार्थ का नाम और उसकी अधिकतम मात्रा जो स्थल पर हो सकती है, जिसके लिए अधिसूचना की जा रही है।
6. संगठन, संरचना, अर्थात् प्रस्तावित औद्योगिक क्रियाकलाप के लिए संगठनात्मक आयुध और सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था।
7. व्यापक दुर्घटनाओं के लिए संभावनाओं से संबंधित जानकारी, अर्थात्
(क) व्यापक दुर्घटना परिसंकेतों की पहचान ;
(ख) वे दशाएँ या घटनाएँ जो इस प्रकार की घटना पैदा करने महत्वपूर्ण हो सकती हैं ;
(ग) किए गए उपायों का एक संक्षिप्त विवरण।
8. स्थल से संबंधित जानकारी अर्थात् :--
(क) स्थल और उसके समीपवर्ती क्षेत्र का एक बड़े पैमाने तक का एक मानचित्र जो ऐसा विशेषताओं को दर्शाने के लिए पर्याप्त हो जो स्थल से संबंधित परिसंकेत या जोखिम के निर्धारण में महत्वपूर्ण हो सकती हैं :
(i) वह क्षेत्र जिसके व्यापक दुर्घटना से प्रभावित होने की संभावना है,
(ii) सामीप्य क्षेत्र में जनसंख्या वितरण।
(ख) स्थल का एक परिभाषा रेखांक जिसमें परिसंकेतमय रसायनों की सभी महत्वपूर्ण तालिकाओं का अवस्थान और मात्रा दर्शाएँ की गई हो :
(ग) ऐसा प्रक्रिया या अंडारण का वर्णन जिसमें परिसंकेतमय रसायन प्रस्तुत हैं और उन दशाओं की उपदर्शित किया जाना जिनके अर्धान वे रसायन सामान्य रूप से धारित किए जाते हैं ;
(घ) ऐसे व्यक्तियों की अधिकतम संख्या जिनके स्थल पर मौजूद होने की संभावना है।
9. कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था और ऐसे कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपकरण।

भाग 2

पाइप लाइन की आमत सन्मिलित की जाने वाली विशिष्टियाँ :

1. अधिसूचना करने वाले व्यक्ति का नाम और पता
2. उस स्थान का पूरा डाक पता जिससे पाइपलाइन संबंधी क्रियाकलाप को नियंत्रित किया जाता है, उन स्थानों के पते जहाँ से पाइपलाइन प्रारंभ होती है और जहाँ समाप्त होती है और 1:400000 से अधून के एक परिमाण पर आंतरा गणना पाइप लाइन मार्ग को दर्शाने वाला एक नक्शा।
3. वे आंकड़े जिस पर प्रस्तावित है कि अधिसूचना करने योग्य क्रियाकलाप प्रारंभ होगा, या यदि वह पहले ही प्रारंभ हो चुका है तो उः आशय का एक कथन।
4. पाइपलाइन की कुल लंबाई, उसका व्यास और सामान्य प्रवाहन दाब और ऐसे प्रत्येक परिसंकेतमय रसायन का नाम और उसकी अधिकतम मात्रा जो पाइप लाइन में हो सकती है जिसके लिए अधिसूचना की जा रही है।

धनुषूची 8

[नियम 10(1) देखिए]

सुरक्षा रिपोर्ट में दी जाने वाली जानकारी

1. जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम और पता ।

2. औद्योगिक क्रियाकलाप का वर्णन अर्थात् :-

(क) स्थल,

(ख) संनिर्माण विज्ञान,

(ग) संरक्षण जोन (विस्फोट संरक्षण) प्रसगाव दूरी,

(घ) संबंध को पढ़ें

(ङ) स्थल पर कार्य करने वाले व्यक्ति की और विशेषकर ऐसे व्यक्तियों की जो परिसंकट से प्रभावित हैं, अधिकतम संख्या ।

3. प्रक्रियाओं का वर्णन, अर्थात् :-

(क) औद्योगिक क्रियाकलाप का तकनीकी प्रयोजन,

(ख) औद्योगिकीय प्रक्रियाओं के आधारभूत सिद्धांत,

(ग) स्पष्टिक प्रक्रिया प्रक्रमों के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा संबंधी प्रांकड़े।

(घ) प्रक्रिया वर्णन ।

(ङ) सुरक्षा संबंध उपयोगिताओं के प्रकार ।

4. परिसंकटमय रसायनों का वर्णन, अर्थात् :-

(क) रसायन (मात्रा, पदार्थ, प्रांकड़े, सुरक्षा संबंध प्रांकड़े, विषालुता संबंधी प्रांकड़े और वेहली मान ।)

(ख) वह रूप जिसमें रसायन दृष्टिगोचर हो सकता है या जिसमें असामान्य बर्णनों में परिवर्तित हो सकता है।

(ग) परिसंकटमय रसायनों की शुद्धता की मात्रा ।

5. प्रारंभिक परिसंकट विश्लेषणों पर जानकारी, अर्थात् :-

(क) दुर्घटना के प्रकार

(ख) प्रणाली बटक या घटनाएं जिसे कोई व्यापक दुर्घटना हो सकती है।

(ग) परिसंकट

(घ) सुरक्षा सुसंगत संघटक

6. सुरक्षा का वर्णन—अन्य बातों के साथ साथ सुसंगत एकक :

(क) विशेष विज्ञान मानक

(ख) नियंत्रण और सचेतक

(ग) विशेष राहत व्यवस्था

(घ) दृष्टि कार्य मान

(ङ) संग्रह टैंक/खस्ता टंकी ।

(ख) छितराव प्रणाली

(छ) प्राग बुझाना प्रावि

7. परिसंकट निवारण पर जानकारी, अर्थात् :-

(क) परिसंकट की पहचान

(ख) व्यापक दुर्घटनाओं के कारण

(ग) परिसंकटों के घटित होने के प्रावृत्ति के अनुसार उनका निवारण ।

(घ) दुर्घटना परिणामों का निवारण

(ङ) सुरक्षा प्रणाली

(ख) ज्ञात दुर्घटना पूर्ववृत्त ।

8. औद्योगिक क्रियाकलाप सुरक्षा बनाने के लिए प्रयुक्त संगठनात्मक व्यवस्था पर जानकारी का वर्णन, अर्थात् :-

(क) अनुसूचियों का बनाए रखना और उनका निरीक्षण,

(ख) कर्मकारों के प्रशिक्षण के लिए मार्गदर्शन,

(ग) संयंत्र सुरक्षा के लिए उत्तरदायित्व का आवंटन और प्रत्यायोजन,

(घ) सुरक्षा प्रक्रिया का कार्यान्वयन

9. अग्निक बुर्बटनामों के परिष्कारों के निर्धारण पर जानकारी प्रपत्ति :-

- (क) परिसंकटमय रसायनों के या उन्हीं की संभावित निर्मुक्ति का निर्धारण,
- (ख) निर्मुक्त रसायन का संभावित वितरण,
- (ग) निर्माचनों के प्रभाव का निर्धारण (प्रभावित क्षेत्र का आकार, स्वास्थ्य प्रभाव, सम्पत्ति का नुकसान।)

10. व्यापक बुर्बटनामों को कम करने पर जानकारी, प्रपत्ति :-

- (क) अग्नि दस्ता
- (ख) संचेतक प्रणाली
- (ग) आपात योजना जिसमें आपात से निपटने के लिए प्रयुक्त संगठन व्यवस्था है, संचेतक और संचार मार्ग, आपात से निपटने के लिए मार्गदर्शन परिसंकटमय रसायनों के बारे में जानकारी, संभावित बुर्बटनामों के उदाहरण;
- (घ) जिला आपात प्राधिकरण और उसके स्थल से दूर आपात योजना के साथ समन्वयन;
- (ङ) बुर्बटना की वशा में परिसंकट की प्रकृति और उसके विस्तार की अधिसूचना;
- (च) किसी परिसंकटमय रसायन की निर्मुक्ति की वशा में ऐडिबोर्ड।

अनुसूची 9

(नियम 17 के लिए)

सुरक्षा धांकड़े शीट

1. रासायनिक पहचान

रासायनिक नाम	रासायनिक वर्गीकरण		
सहसाम	व्यापार चिह्न		
भूतयोग	सी ए एस संख्या	यू. एन. संख्या	
बिनिमित्त पहचान	पोत परिवहन नाम कोड/लिबल	हेजबेम संख्या	
	परिसंकटमय प्रपत्ति घाई की संख्या		
परिसंकटमय संघटक	सी ए एस संख्या	परिसंकटमय संघटक	सी ए एस संख्या
1.		3	
2		4	

2. भौतिक और रासायनिक धांकड़े

कवचम रेंज/कवचांक	0सी	भौतिक स्थिति	धाविर्भाव
गलनताप/हिमांक	0सी	वाष्प दाब @ 350 सी	संघ एम एम एच जी
वाष्प घनत्व (वायु = 1)		जल में विलेयता @ 30 सी	अन्य
विनिविष्ट गुरुत्व (जल = 1)		पी एच	

3. अग्नि और विस्फोट परिसंकट धांकड़े

ज्वलनशीलता	हो/नहीं	एच ई एच	प्रतिघत	प्रज्वलन ताप	0सी	स्वतोपज्वली तापमान 0 सी
------------	---------	---------	---------	--------------	-----	----------------------------

टी बी जी ज्वलनशीलता	यू ई एल	यू ई एल	प्रतिफल	प्रज्वलन क्षमता सी	परिसंकटमय वहन उत्पाद
विस्फोट प्रमाणा सुप्रमाहिता परिसंकटमय बहुलकीकरण				स्फिर विद्युत बिस्फोट सुप्रमाहिता	
वाह्य धम		बिस्फोटक सामग्री		संभारक सामग्री	
ज्वलनशील सामग्री		उपचायक		अन्य	
स्वतःज्वलनी सामग्री 4. प्रयोजनिकता भाकड़े रासायनिक स्थायित्व अन्य सामग्री से असंगतता प्रयोजनिकता परिसंकटमय प्रतिक्रिया उत्पाद 5—स्वास्थ्य परिसंकट भाकड़े प्रवेश मार्ग प्रभावित होने के प्रभाव लक्षण आपात चिकित्सा		कार्बनिक परभाक्सायड			
टी एल बी (ए सी जी आई एन)	पी पी एम	एम आई एम 3	एस टी ई एल	पी पी एम	एम जी/एम सी
अनुश्रेय बिस्फोट सीमा एल बी 50		एम आई एम 3	रांध वेहूली एल सी 50	पी पी एम	एम जी/एम सी
एन एफ पीए	परिसंकट संकेत	स्वास्थ्य	ज्वलनशीलता	स्थायित्व	विशेष
6—निवारक उपाय व्यक्तिगत संरक्षणात्मक उपस्कर हथालने और संभरण संबंधी पूर्वसावधानियां 7. आपात और प्रथम उपचार उपाय		अग्नि शामन माध्यम			
अग्नि		विशेष प्रक्रिया			
		अप्रायिक परिसंकट			
प्रभाव		प्राथमिक उपचार			
		एफ्टिबोट/बोज			
अधिप्लावन		की जाने वाली कार्यवाहियां			
		अपशिष्ट ब्ययन के तरीके			
8. अतिरिक्त जानकारी/निर्देश					
9. चिनिमता/प्रचायकर्ता भाकड़े		आपात में संपर्क व्यक्ति			
फर्म का नाम, डाक पता		अस्तबिलित स्थानीय निकाय			
टेलीफोन/टेलिफैक्स सं. तार पता		मानक पैकिंग			
		ट्रेमकोर्ड विवरण/निर्देश			
		अन्य			

10. दाखलनाम

इस सामग्री आंकड़े शीट में अल्पविष्ट जानकारी के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि यह त्रिपक्षसमीप है किन्तु किसी विशेष प्रयोजन के लिए या उनसे परिणाम प्राप्त करने के लिए उसकी शुद्धता, उपयुक्तता के बारे में किसी भी प्रकार का कोई अभ्यावेदन, प्रत्याभूति या वारंटी नहीं की गई है। यह सुनिश्चित करना विनिर्माता/विक्रेता का कर्तव्य होगा कि सामग्री सुरक्षा आंकड़े शीट में अल्पविष्ट जानकारी उसके द्वारा, यथास्थिति विनिर्दिष्ट हथाने गए या विक्रेत उत्पाद के लिए सुसंगत है। सरकार किसी विनिष्ट प्रयोजन के लिए इस दस्तावेज के औचित्य की वाचन अभिप्रेक्षित या विविध कोई वारंटी नहीं करना चाहती।

अनुसूची 10

[नियम 18(5) देखिए]

(प्रायतित परिसंकटमय रसायनों का अभिलेख बनाए रखने के लिए फारमेट)

1. आयातकर्ता का नाम और पता :
2. परिसंकटमय रसायनों का आयात करने की अनुज्ञा जारी करने की तारीख और उसका निर्देश संख्यांक।
3. परिसंकटमय रसायनों का वर्णन :
 - (क) भौतिक रूप
 - (ख) रसायनिक रूप
 - (ग) कुल वास्तुम और भार (किलोमीटर/टनों में)
4. आयात के प्रयोजन का वर्णन
5. परिसंकटमय रसायनों के भंडारण का वर्णन :
 - (क) तारीख
 - (ख) भंडारण का ढंग

[17] (1) / 87-सी एल/एच एस एस डी]

डा. जी. सुब्रह्म, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
(Department of Environment, Forests and Wildlife)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 1989

S.O. 966 (E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Act" means the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) ;
- (b) "Authority" means an authority mentioned in Column 2 of Schedule 5 ;
- (c) "export" with its grammatical variations and cognate expression, means taking out of India to a place outside India ;
- (d) "exporter" means any person under the jurisdiction of the exporting country and includes the exporting country, who exports hazardous chemical ;
- (e) "hazardous chemical" means,—
 - (i) any chemical which satisfies any of the criteria laid down in Part I of Schedule

1 and is listed in Column 2 of Part II of this Schedule ;

(ii) any chemical listed in Column 2 of Schedule 2 ;

(iii) any chemical listed in Column 2 of Schedule 3 ;

(f) "import", with its grammatical variations and cognate expression, means bringing into India from a place outside India ;

(g) "importer" means an occupier or any person who imports hazardous chemicals ;

(h) "industrial activity" means,—

(i) an operation or process carried out in an industrial installation referred to in Schedule 4 involving or likely to involve one or more hazardous chemicals and includes on-site storage or on-site transport which is associated with that operation or process, as the case may be ; or

(ii) isolated storage ; or

(iii) pipeline ;

(i) "isolated storage" means storage of a hazardous chemical, other than storage associated with an installation on the same site specified in Schedule 4 where that storage involves atleast the quantities of that chemical set out in Schedule 2 ;

(j) "major accident" means an occurrence including any particular major emission,

fire or explosion involving one or more hazardous chemicals and resulting from uncontrolled developments in the course of an industrial activity or due to natural events leading to serious effects both immediate or delayed, inside or outside the installation likely to cause substantial loss of life and property including adverse effects on the environments ;

- (k) "pipeline" means a pipe (together with any apparatus and works associated therewith) or system of pipes (together with any apparatus and works associated therewith) for the conveyance of a hazardous chemical other than a flammable gas as set out in Column 2 of Part II of Schedule 3 at a pressure of less than 8 bars absolute ; the pipeline also includes interstate pipelines ;
- (l) "Schedule" means Schedule appended to these rules ;
- (m) "site" means any location where hazardous chemicals are manufactured or processed, stored, handled, used, disposed of and includes the whole of an area under the control of an occupier and includes pier, jetty or similar structure whether floating or not ;
- (n) "Threshold quantity" means,—
- (i) in the case of a hazardous chemical specified in Column 2 of Schedule 2, the quantity of that chemical specified in the corresponding entry in Columns 3 & 4 ;
 - (ii) in the case of a hazardous chemical specified in Column 2 of Part I of Schedule 3, the quantity of that chemical specified in the corresponding entry in Columns 3 & 4 of that part ;
 - (iii) in the case of substances of a class specified in Column 2 of Part II of Schedule 3, the total quantity of all substances of that class specified in the corresponding entry in Column 3 & 4 of that part.

3. Duties of authorities.—Subject to the other provisions of these rules, the authority shall perform duties as specified in Column 3 of Schedule 5.

4. General responsibility of the occupier during industrial activity.—(1) This rules shall apply to,—

- (a) an industrial activity in which a hazardous chemical, which satisfies any of the criteria laid down in Part I of Schedule 1 and is listed in Column 2 of Part II of this Schedule is or may be involved ; and
- (b) isolated storage in which there is involved a threshold quantity of a hazardous chemical listed in Schedule 2 in Column 2 which is equal to or more than the threshold quantity specified in the Schedule for that chemical in Column 3 thereof.

(2) An occupier who has control of an industrial activity in terms of sub-rule (1) shall provide evidence to show that he has,—

- (a) identified the major accident hazards ; and
- (b) taken adequate steps to—
 - (i) prevent such major accidents and to limit their consequences to persons and the environment ;
 - (ii) provide to the persons working on the site with the information, training and equipment including antidotes necessary to ensure their safety.

5. Notification of Major accident.—(1) Where a major accident occurs on a site, the occupier shall forthwith notify the concerned authority as identified in Schedule 5 of that accident, and furnish thereafter to the concerned authority a report relating to the accidents in instalments, if necessary, in Schedule 6.

(2) The concerned authority shall on receipt of the report in accordance with sub-rule 1 of this rule, shall undertake a full analysis of the major accident and send the requisite information to the Ministry of Environment and Forests through appropriate channel.

(3) Where an occupier has notified a major accident to the concerned authority under respective legislation, he shall be deemed to have complied with the requirements as per sub-rule 1 of this rule.

6. Industrial activity to which rules 7 to 15 apply.—

- (1) Rules 7 to 15 shall apply to,—
 - (a) an industrial activity in which there is involved a quantity of a hazardous chemical listed in Column 2 of Schedule 3 which is equal to or more than the quantity specified in the entry for that chemical in Columns 3 & 4 (Rules 10-12 only for Column 4) and
 - (b) isolated storage in which there is involved a quantity of a hazardous chemical listed in Column 2 of Schedule 2 which is equal to or more than the quantity specified in the entry for that chemical in Column 4.

(2) For the purposes of rules 7 to 15,—

- (a) "new industrial activity" means an industrial activity which—
 - (i) commences after the date of coming into operation of these rules ; or
 - (ii) if commenced before that date, is an industrial activity in which a modification has been made which is likely to cover major accident hazards, and that activity shall be deemed to have commenced on the date on which the modification was made ;

(b) an "existing industrial activity" means an industrial activity which is not a new industrial activity.

7. Notification of sites.—(1) An occupier shall not undertake any industrial activity unless he has submitted a written report to the concerned authority containing the particulars specified in Schedule 7 at least 3 months before commencing that activity or before such shorter time as the concerned authority may agree and for the purposes of this paragraph, an activity in which subsequently there is or is liable to be a threshold quantity or more of an additional hazardous chemical shall be deemed to be a different activity and shall be notified accordingly.

(2) No report under sub-rule (1) need to be submitted by the occupier if he submits a report under rule 10(1).

8. Updating of the site notification following changes in the threshold quantity.—Where an activity has been reported in accordance with rule 7(1) and the occupier makes a change in it (including an increase or decrease in the maximum threshold quantity of a hazardous chemical to which this rule applies which is or is liable to be at the site or in the pipeline or at the cessation of the activity) which affects the particulars specified in that report or any subsequent report made under this rule. The occupier shall forthwith furnish a further report to the concerned authority.

9. Transitional provisions.—Where,—

- (a) at the date of coming into operation of these rules, an occupier is in control of an existing industrial activity which is required to be reported under rule 7(1); or
- (b) within 6 months after that date an occupier commences any such new industrial activity;

it shall be a sufficient compliance with that rule if he reports to the concerned authority as per the particulars in Schedule 7 within 3 months after the date of coming into operation of these rules or within such longer time as the concerned authority may agree in writing.

10. Safety reports.—(1) Subject to the following paragraphs of this rule, an occupier shall not undertake any industrial activity to which this rule applies, unless he has prepared a safety report on that industrial activity containing the information specified in Schedule 8 and has sent a copy of that report to that concerned authority at least ninety days before commencing that activity.

(2) In the case of a new industrial activity which an occupier commences, or by virtue of sub-rule (2) (a) (ii) of rule 6 is deemed to commence, within 6 months after coming into operation of these rules, it shall be a sufficient compliance with sub-rule (1) of this rule if the occupier sends to the concerned authority a copy of the report required in accordance with that sub-rule within ninety days after the date of coming into operation of these rules,

(3) In the case of an existing industrial activity, until five years from the date of coming into operation of these rules, it shall be a sufficient compliance with sub-rule (1) of this rule if the occupier on or before ninety days from the date of the coming into operation of these rules sends to the concerned authority the information specified in Schedule 7 relating to that activity.

11. Updating of reports under Rule 10.—(1) Where an occupier has made a safety report in accordance with sub-rule (1) of rule 10 he shall not make any modification to the industrial activity to which that safety report relates which could materially affect the particulars in that report, unless he has made a further report to take account of those modifications and has sent a copy of that report to the concerned authority at least 90 days before making those modifications.

(2) Where an occupier has made a report in accordance with rule 10 and sub-rule (1) of this rule and that industrial activity is continuing, the occupier shall within three years of the date of the last such report, make a further report which shall have regard in particular to new technical knowledge which has affected the particulars in the previous report relating to safety and hazard assessment, and shall within 30 days or in such longer time as the concerned authority may agree in writing, send a copy of the report to the concerned authority.

12. Requirements for further information to be sent to the authority.—(1) Where, in accordance with rule 10, an occupier has sent a safety report relating to an industrial activity to the concerned authority, the concerned authority may, by a notice served on the occupier, requires him to provide such additional information as is specified in the notice and the occupier shall send that information to the concerned authority within such time as is specified in the notice or within such extended time as the authority may subsequently specify.

13. Preparation of on-site emergency plan by the occupier.—(1) An occupier shall prepare and keep up-to-date an on-site emergency plan detailing how major accidents will be dealt with on the site on which the industrial activity is carried on and that plan shall include the name of the person who is responsible for safety on the site and the names of those who are authorised to take action in accordance with the plan in case of an emergency.

(2) The occupier shall ensure that the emergency plan prepared in accordance with sub-rule (1), takes into account any modification made in the industrial activity and that every person on the site who is affected by the plan is informed of its relevant provisions.

(3) The occupier shall prepare the emergency plan required under sub-rule (1),—

- (a) in the case of a new industrial activity, before that activity is commenced;

- (b) in the case of an existing industrial activity within 90 days of coming into operation of these rules.

14. Preparation of off-site emergency plans by the authority.—(1) It shall be the duty of the concerned authority as identified in Column 2 of Schedule 5 to prepare and keep up-to-date an adequate off-site emergency plan detailing how emergencies relating to a possible major accident on that site will be dealt with and in preparing that plan the concerned authority shall consult the occupier, and such other persons as it may deem necessary.

(2) For the purpose of enabling the concerned authority to prepare the emergency plan required under sub-rule (1), the occupier shall provide the concerned authority with such information relating to the industrial activity under his control as the concerned authority may require, including the nature, extent and likely effects off-site of possible major accidents and the authority shall provide the occupier with any information from the off-site emergency plan which relates to his duties under rule 11.

(3) The concerned authority shall prepare its emergency plan required under sub-rule (1) —

- (a) in the case of a new industrial activity, before that activity is commenced ;
- (b) in the case of an existing industrial activity, within six months of coming into operation of these rules.

15. Information to be given to persons liable to be affected by a major accident.—(1) The occupier shall take appropriate steps to inform persons outside the site either directly or through District Emergency Authority who are likely to be in an area which may be affected by a major accident about—

- (a) the nature of the major accident hazard ; and
- (b) the safety measures and the 'Dos' and 'Donts' which should be adopted in the event of a major accident.

(2) The occupier shall take the steps required under sub-rule (1) to inform persons about an industrial activity, before that activity is commenced, except, in the case of an existing industrial activity in which case the occupier shall comply with the requirements of sub-rule (1) within 90 days of coming into operation of these rules.

16. Disclosures of information.—(1) Where for the purpose of evaluating information notified under rule 5 or 7 to 15, the concerned authority discloses that information to some other person, that other person shall not use that information for any purpose except for the purpose of the concerned authority disclosing it, and before disclosing the information the concerned authority shall inform that other person of his obligations under this paragraph.

17. Collection, Development and Dissemination of Information.—(1) This rule shall apply to an industrial activity in which a hazardous chemical which

satisfies any of the criteria laid down in part I of Schedule 1 and is listed in Column 2 of Part II of this Schedule is or may be involved.

(2) An occupier, who has control of an industrial activity in term of sub-rule 1 of this rule, shall arrange to obtain or develop information in the form of safety data sheet as specified in Schedule 9. The information shall be accessible upon request for reference.

(3) The occupier while obtaining or developing a safety data sheet as specified in Schedule 9 in respect of a hazardous chemical handled by him shall ensure that the information is recorded accurately and reflects the scientific evidence used in making the hazard determination. In case, any significant information regarding hazard of a chemical is available, it shall be added to the material safety data sheet as specified in Schedule 9 as soon as practicable.

(4) Every container of a hazardous chemical shall be clearly labelled or marked to identify,—

- (a) the contents of the container ;
- (b) the name and address of the manufacturer or importer of the hazardous chemical ;
- (c) the physical, chemical and toxicological data as per the criteria given at Part I of Schedule 1.

(5) In terms of sub-rule 4 of this rule where it is impractical to label a chemical in view of the size of the container or the nature of the package, provision should be made for other effective means like tagging or accompanying documents.

18. Import of hazardous chemicals.—(1) This rule shall apply to a chemical which satisfies any of the criteria laid down in Part I of Schedule 1 and is listed in Column 2 of Part II of this Schedule.

(2) Any person responsible for importing hazardous chemicals in India shall provide at the time of import or within thirty days from the date of import to the concerned authorities as identified in Column 2 of Schedule 5 the information pertaining to—

- (i) the name and address of the person receiving the consignment in India ;
- (ii) the port of entry in India ;
- (iii) mode of transport from the exporting country to India ;
- (iv) the quantity of chemical(s) being imported ; and
- (v) complete product safety information.

(3) If the concerned authority at the State is satisfied that the chemical being imported is likely to cause major accident, it may direct the importer to take such steps including stoppage of such imports to the concerned authority at the State may deem it appropriate.

(4) The concerned authority at the State shall simultaneously inform the concerned Port Authority to take appropriate steps regarding safe handling and storage of hazardous chemicals while off-loading the consignment within the port premises.

(5) Any person importing hazardous chemicals shall maintain the records of the hazardous chemicals imported as specified in Schedule 10 and the records so maintained shall be open for inspection by the concerned authority at the State or the Ministry of Environment and Forests or any officer appointed by them in this behalf.

(6) The importer of the hazardous chemical or a person working on his behalf shall ensure that transport of hazardous chemicals from port of entry to the ultimate destination is in accordance with the Central Motor Vehicles Rules, 1989 framed under the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988.

19. Improvement notices.—(1) If the concerned authority is of the opinion that a person has contravened the provisions of these rules, the concerned authority shall serve on him a notice (in this para referred to as "an improvement notice") requiring that person to remedy the contravention or, as the case may be, the matters occasioning it within such period as may be specified in the notice.

(2) A notice served under sub-rule (1) shall clearly specify the measures to be taken by the occupier in remedying said contraventions.

20. Power of the Central Government to modify the Schedules.—The Central Government may, at any time, by notification in the Official Gazette, make suitable changes in the Schedules.

SCHEDULE 1

[See rule 2(e)(i), 4(1)(a), 4(2)(i), 17 and 18]

Indicative Criteria and List of Chemicals

PART I

(a) Toxic Chemicals :

Chemicals having the following values of acute toxicity and which, owing to their physical and chemical properties, are capable of producing major accident hazards.

Sl. No.	Degree of Toxicity	Medium lethal dose by the oral route (oral toxicity) LD50 (mg/kg body weight of test animals)	Medium lethal dose by the dermal route (dermal toxicity) LD50 (mg/kg body weight of test animals)	Medium lethal concentration by inhalation route (four hours) LC50 (mg/l inhalation in test animals)
1.	Extremely toxic	1—50	1—200	0.1—0.5
2.	Highly toxic	51—500	201—2000	0.5—2.0

(b) Flammable chemicals :

(a) flammable gases : chemicals which in the gaseous state at normal pressure and mixed with air become flammable and the boiling point of which at normal pressure is 20°C or below ;

(ii) highly flammable liquids : chemicals which have a flash point lower than 23°C and the boiling point of which at normal pressure is above 20°C ;

(iii) flammable liquids : chemicals which have a flash point lower than 65°C and which remain liquids under pressure, where particular processing conditions, such as high pressure and high temperature, may create major accident hazards.

(c) Explosives :

Chemicals which may explode under the effect of flame, heat or photo-chemical conditions or which are more sensitive to shocks or friction than dinitrobenzene.

PART II

LIST OF HAZARDOUS AND TOXIC CHEMICALS

Sl. No.	Name of the Chemical
1	2
1.	Acetone
2.	Acetone Cyanohydrine
3.	Acetyl Chloride
4.	Acetylene (Ethyne)
5.	Acrolein (2-Propenal)
6.	Acrylonitrile
7.	Aldicarb
8.	Aldrin
9.	Alkyl Phthalate
10.	Allyl Alcohol
11.	Allylamine
12.	Alpha Naphthyl Thiourea (Antu)
13.	Aminodiphenyl,-4
14.	Aminophenol-2
15.	Amiton
16.	Ammonia
17.	Ammonium Nitrate
18.	Ammonium Nitrates in fertilizers
19.	Ammonium Sulfamate
20.	Anabasine
21.	Aniline
22.	Anisidine-p
23.	Antimony and Compounds
24.	Antimony Hydride (Stibine)
25.	Arsenic Hydride (Arsine)
26.	Arsenic Pentoxide, (Arsenic) (v) Acide and Salts
27.	Arsenic Trioxide, Arsenious (iii) Acids and Salts
28.	Asbestos
29.	Azinphos-Ethyl
30.	Azinphos-Methyl
31.	Barium Azide
32.	Benzene
33.	Benzidine
34.	Benzidine Salts
35.	Benzoquinone

- | | |
|--|--|
| 36. Benzoyl Chloride | 89. Chloromequat Chloride |
| 37. Benzoyl Peroxide | 90. Chloroacetalchloride |
| 38. Benzyl Chloride | 91. Chloroacetaldehyde |
| 39. Benzyl Cyanide | 92. Chloroaniline,-2 |
| 40. Beryllium (Powders, Compounds) | 93. Chloroaniline,-4 |
| 41. Biphenyl | 94. Chlorobenzene |
| 42. Bis (2-Chloromethyl) Ketone | 95. Chlorodiphenyl |
| 43. Bis (2, 4, 6-Trinitrophenyl) Amine | 96. Chloroepoxypropane |
| 44. Bis (2-Chloroethyl) Sulphide | 97. Chloroethanol |
| 45. Bis (Chloromethyl) Ether | 98. Chloroethyl Chloroformate |
| 46. Bis (tert-Butylperoxy) Butane,-2, 2 | 99. Chlorofluorocarbons |
| 47. Bis (tert-Butylperoxy) Cyclohexane, 1, 1 | 100. Chloroform |
| 48. Bis-, 2 TRIBROMOPHENOXY-Ethane | 101. Chloroformyl,-4, Morpholine |
| 49. Bisphenol | 102. Chloromethane |
| 50. Boron and Compounds | 103. Chloromethyl Ether |
| 51. Bromine | 104. Chloromethyl Methyl Ether |
| 52. Bromine Pentafluoride | 105. Chloronitrobenzene |
| 53. Bromoform | 106. Chloroprene |
| 54. Butadiene-1, 3 | 107. Chlorosulphonic Acid |
| 55. Butane | 108. Chlorotrinitrobenzene |
| 56. Butanethiol | 109. Chloroxuron |
| 57. Butanone-2 | 110. Chromium and Compounds |
| 58. Butoxy Ethanol | 111. Cobalt and Compounds |
| 59. Butyl Glycidal Ether | 112. Copper and Compounds |
| 60. Butyl Peroxyacetate, tert | 113. Coumafuryl |
| 61. Butyl Peroxyisobutyrate, tert | 114. Coumaphos |
| 62. Butyl Peroxyisopropyl Carbonate, tert | 115. Coumatetralyl |
| 63. Butyl Peroxymaleate, tert | 116. Cresols |
| 64. Butyl Peroxypivalate,-tert | 117. Crimidine |
| 65. Butyl Vinyl Ether | 118. Cumene |
| 66. Butyl-n-Mercaptan | 119. Cyanophos |
| 67. Butylamine | 120. Cyanothoate |
| 68. C 9-Aromatic Hydrocarbon Fraction | 121. Cyanuric Fluoride |
| 69. Cadmium and Compounds | 122. Cyclohexane |
| 70. Cadmium Oxide (fumes) | 123. Cyclohexanol |
| 71. Calcium Cyanide | 124. Cyclohexanone |
| 72. Captan | 125. Cycloheximide |
| 73. Captofol | 126. Cyclopentadiene |
| 74. Carbaryl (Sevin) | 127. Cyclopentane |
| 75. Carbofuran | 128. Cyclotetramethylenetetranitramine |
| 76. Carbon Disulphide | 129. Cyclotrimethylene Trinitramine |
| 77. Carbon Monoxide | 130. DDT |
| 78. Carbon Tetrachloride | 131. Decabromodiphenyl Oxide |
| 79. Carbophenothion | 132. Demeton |
| 80. Cellulose Nitrate | 133. Di-Isobutyl Peroxide |
| 81. Chlorates (used in explosives) | 134. Di-Propyl Peroxydicarbonate |
| 82. Chlordane | 135. Di-sec-Butyl Peroxydicarbonate |
| 83. Chlorfenvinphos | 136. Dialifos |
| 84. Chlorinated Benzenes | 137. Diazodinitrophenol |
| 85. Chlorine | 138. Diazomethane |
| 86. Chlorine Di Oxide | 139. Dibenzyl Peroxydicarbonate |
| 87. Chlorine Oxide | 140. Dichloroacetylene |
| 88. Chlorine Trifluoride | 141. Dichlorobenzene-o |
| | 142. Dichlorobenzene-p |

143. Dichloroethane
144. Dichloroethyl Ether
145. Dichlorophenol, -2, 4
146. Dichlorophenol, -2, 6
147. Dichlorophenoxy Acetic Acid, -2, 4 (2, 4-D)
148. Dichloropropane, -1, 2
149. Dichlorosalicylic Acid, -3, 5
150. Dichlorvos (DDVP)
151. Dicrotophos
152. Dieldrin
153. Diepoxybutane
154. Diethyl Peroxydicarbonate
155. Diethylene Glycol Dintrate
156. Diethylene Triamine
157. Diethyleneglycol Butyl Ether/Diethyleneglycol Butyl Acetate
158. Diethylenetriamine (DETA)
159. Diglycidyl Ether
160. Dihydroperoxypropane, -2, 2
161. Diisobutyl Peroxide
162. Dimetox
163. Dimethoate
164. Dimethyl Phosphoramidocyanidic Acid
165. Dimethyl Phthalate
166. Dimethylcarbomyl
167. Dimethylnitrosamine
168. Dinitrophenol, Salts
169. Dinitrotoluene
170. Dintro-g-Cresol
171. Dioxane
172. Dioxathion
173. Dioxolane
174. Diphacinone
175. Diphosphoramidate Octamethyl
176. Dipropylene Glycolmethylether
177. Disulfoton
178. Endosulfan
179. Endrin
180. Epichlorohydrine
181. EPN
182. Epoxypropane, 1, 2
183. Ethion
184. Ethyl Carbamate
185. Ethyl Ether
186. Ethyl Hexanol, -2
187. Ethyl Mercaptan
188. Ethyl Methacrylate
189. Ethyl Nitrate
190. Ethylamine
191. Ethylene
192. Ethylene Chlorohydrine
193. Ethylene Diamine
194. Ethylene Dibromide
195. Ethylene Dichloride
196. Ethylene Glycol Dinitrate
197. Ethylene Oxide
198. Ethyleneimine
199. Ethylthiocyanate
200. Fensulphothion
201. Fluenetil
202. Fluoro, -4, -2-Hydroxybutyric Acid and Salts, Esters, Amides
203. Fluoroacetic Acid and Salts, Esters, Amides
204. Fluorobutyric Acid, -4, and Salts, Esters, Amides
205. Fluorocrotonic Acid, -4, and Salts, Esters, Amides
206. Formaldehyde
207. Glyconitrile (Hydroxyacetonitrile)
208. Guanyl, -1, -4-Nitrosaminoguanyl-1-Tetrazene
209. Heptachlor
210. Hexachloro Cyclopentadiene
211. Hexachlorocyclohexane
212. Hexachlorocycloamethane
213. Hexachlorodibenzo-p-Dioxin, -1, 2, 3, 7, 8, 9
214. Hexafluoropropene
215. Hexamethylphosphoramidate
216. Hexamethyl, -3, 3, 6, 9, 9, -1, 2, 4, 5-Texbroxacyclononane
217. Hexamethylenediamine
218. Hexane
219. Hexanitrostilbene, -2, 2, 4, 4, 6, 6
220. Hexavalent Chromium
221. Hydrazine
222. Hydrazine Nitrate
223. Hydrochloric Acid
224. Hydrogen
225. Hydrogen Bromide (Hydrobromic Acid)
226. Hydrogen Chloride (Liquified Gas)
227. Hydrogen Cyanide
228. Hydrogen Fluoride
229. Hydrogen Selenide
230. Hydrogen Sulphide
231. Hydroquinone
232. Iodine
233. Isobenzan
234. Isodrin
235. Isophorone Diisocyanate
236. Isopropyl Ether
237. Juglone (5-Hydroxynaphthalene-1, 4-Dione)
238. Lead (inorganic fumes & dusts)
239. Lead 2, 4, 6-Trinitroresorcinoxide (Lead Styphnate)
240. Lead Azide
241. Leptophos
242. Lindane
243. Liquified Petroleum Gas (LPG)
244. Maleic Anhydride
245. Manganese & Compounds
246. Mercapto Benzothiazole
247. Mercury Alkyl

248. Mercury Fulminate
 249. Mercury Methyl
 250. Methacrylic Anhydride
 251. Methacrylonitrile
 252. Methacryloyl Chloride
 253. Methamidophos
 254. Methanesulphonyl Fluoride
 255. Methanethiol
 256. Methoxy Ethanol (2-Methyl Cellosolve)
 257. Methoxyethylmercuric Acetate
 258. Methyl Acrylate
 259. Methyl Alcohol
 260. Methyl Anylketone
 261. Methyl Bromide (Bromomethane)
 262. Methyl Chloride
 263. Methyl Chloroform
 264. Methyl Cyclohexene
 265. Methyl Ethyl Ketone Peroxide
 266. Methyl Hydrazine
 267. Methyl Isobutyl Ketone
 268. Methyl Isobutyl Ketone Peroxide
 269. Methyl Isocyanate
 270. Methyl Isothiocyanate
 271. Methyl Mercaptan
 272. Methyl Methacrylate
 273. Methyl Parathion
 274. Methyl Phosphonic Dichloride
 275. Methyl-N, 2, 4, 6-Tetranitroaniline
 276. Methylene Chloride
 277. Methylenebis-4, 4, (2-Chloroaniline)
 278. Methyltrichlorosilane
 279. Mevinphos
 280. Molybdenum & Compounds
 281. N-Methyl-N, 2, 4, 6-N-Tetranitroaniline
 282. Naphtha (Coal Tar)
 283. Naphthylamine, 2
 284. Nickel & Compounds
 285. Nickel Tetracarbonyl
 286. Nitroaniline-O
 287. Nitroaniline-P
 288. Nitrobenzene
 289. Nitrochlorobenzene-P
 290. Nitrocyclohexane
 291. Nitroethane
 292. Nitrogen Dioxide
 293. Nitrogen Oxides
 294. Nitrogen Trifluoride
 295. Nitroglycerine
 296. Nitrophenol-P
 297. Nitropropane-1
 298. Nitropropane-2
 299. Nitrosodimethylamine
 300. Nitrotoluene
 301. Octabromophenyl Oxide
 302. Oleum
 303. Oleylamine
 304. OO-Diethyl S-Ethylsulphonylmethyl q
 305. Oo-Diethyl S-Ethylsulphonylmethyl Phosphorothioate
 306. OO-Diethyl S-Ethylthiomethyl Phosphorothioate
 307. OO-Diethyl S-Isopropylthiomethyl Phosphorodithioate
 308. OO-Diethyl S-Propylthiomethyl Phosphorodithioate
 309. Oxyamyl
 310. Oxydisulfoton
 311. Oxygen (Liquid)
 312. Oxygen Difluoride
 313. Ozone
 314. Paroxon (Diethyl 4-Nitrophenyl Phosphate)
 315. Paraquat
 316. Parathion
 317. Parathion Methyl
 318. Paris green (Bis Aceto Hexametaarsenito Tetracopper)
 319. Pentaborane
 320. Pentabromodiphenyl Oxide
 321. Pentabromophenol
 322. Pentachloro Naphthalene
 323. Pentachloroethane
 324. Pentachlorophenol
 325. Pentacrythritol Tetranitrate
 326. Pentane
 327. Peracetic Acid
 328. Perchloroethylene
 329. Perchloromethyl Mercaptan
 330. Petanone, 2, 4-Methyl
 331. Phenol
 332. Phenyl Glycidal Ether
 333. Phenylene p-Diamine
 334. Phenylmercury Acetate
 335. Phorate
 336. Phosacetim
 337. Phosalone
 338. Phosfolan
 339. Phosgene (Carbonyl Chloride)
 340. Phosmet
 341. Phosphamidon
 342. Phosphine (Hydrogen Phosphide)
 343. Phosphoric Acid and Esters
 344. Phosphoric Acid, Bromoethyl Bromo (2, 2-Dimethylpropyl) Bromoethyl Ester
 345. Phosphoric Acid, Bromoethyl Bromo (2, 2-Dimethylpropyl) Chloroethyl Ester
 346. Phosphoric Acid, Chloroethyl Bromo (2, 2-Dimethylpropyl) Chloroethyl Ester
 347. Phosphorous & Compounds
 348. Phostalan
 349. Picric Acid (2, 4, 6-Trinitrophenol)
 350. Polybrominated Biphenyls
 351. Potassium Arsenite
 352. Potassium Chlorate
 353. Promurit (1-(3, 4-Dichlorophenyl)-3-Triazene-thiocarbonyl amide)
 354. Propanesultone-1, 3
 355. Propen,-1,-2-Chloro-1,3-Diol-Diacetate
 356. Propylene Dichloride

357. Propylene Oxide	395. Tri-, -1 (Cyclohexyl) Stannyl-1H-1, 2, 4-Triazole
358. Propyleneimine	397. Triamino-, -1, 3, 5, 2, 4, 6-Trinitrobenzene
359. Pyrazoxon	398. Tribromophenol, 2, 4, 6
360. Selenium Hexafluoride	399. Trichloro Acetyl Chloride
361. Semicarbazide Hydrochloride	400. Trichloro Ethane
362. Sodium Arsenite	401. Trichloro Naphthalene
363. Sodium Azide	402. Trichloro (chloromethyl) Silane
364. Sodium Chlorate	403. Trichlorodichlorophenylsilane
365. Sodium Cyanide	404. Trichloroethane, 1, 1, 1
366. Sodium Picramate	405. Trichloroethyl Silane
367. Sodium Selenite	406. Trichloroethylene
368. Styrene, 1, 1, 2, 2-Tetrachloroethane	407. Trichloromethanesulphenyl Chloride
369. Sulfotep	408. Trichlorophenol, 2, 2, 6
370. Sulphur Dichloride	409. Trichlorophenol, 2, 4, 5
371. Sulphur Dioxide	410. Triethylamine
372. Sulphur Trioxide	411. Triethylenemelamine
373. Sulphuric Acid	412. Trimethyl Chlorosilane
374. Sulphoxide, 3-Chloropropylcetyl	413. Trimethylolpropane Phosphite
375. Tellurium	414. Trinitroaniline
376. Tellurium Hexafluoride	415. Trinitroanisole, 2,24, 6
377. Tepp	416. Trinitrobenzene
378. Terbufos	417. Trinitrobenzoic Acid
379. Tetrabromobisphenol-A	418. Trinitrocresol
380. Tetrachloro, 2, 2, 5, 6, 2, 5-Cyclohexadiene-1, 4-Dione	419. Trinitrophenetole, 2, 4, 6
381. Tetrachlorodibenzo-p-Dioxin., 2, 3, 7, 8 (TCDD)	420. Trinitroresorcinol, 2, 4, 6 (Styphnic Acid)
382. Tetraethyl Lead	421. Trinitrotoluene
383. Tetrafluoroethane	422. Triorthocresyl Phosphate
384. Tetramethylenedisulphotetramine	423. Triphenyltin Chloride
385. Tetramethyl Lead	424. Turpentine
386. Tetranitromethane	425. Uranium & Compounds
387. Thallium & Compounds	426. Vanadium & Compounds
388. Thionazin	427. Vinyl Chloride
389. Thionyl Chloride	428. Vinyl Fluoride
390. Tirpate	429. Vinyl Toluene
391. Toluene	430. Warfarin
392. Toluene-2-4-Diisocyanate	431. Xylene
393. Toluidine-O	432. Xylidine
394. Toluene 2, 6-Diisocyanate	433. Zinc & Compounds
395. Trans-1, 4-Chlorobutene	434. Zirconium & Compounds

SCHEDULE 2

[See rule 2(o)(ii), 4(1)(b), 4(2)(1) and 6(1)(b)]

Isolated Storage at Installations other than those covered by Schedule 4.

(a) The threshold quantities set out below relate to each installation or group of installations belonging to the same occupier where the distance between installations is not sufficient to avoid, in foreseeable circumstances, any aggravation of major accident hazards. These threshold quantities apply in any case to each group of installations belonging to the same occupier where the distance between the installations is less than 500 metres.

(b) For the purpose of determining the threshold quantity of a hazardous chemical at an isolated storage, account shall also be taken of any hazardous chemical which is :—

- (i) in that part of any pipeline under the control of the occupier having control of the site, which is within 500 metres of that site and connected to it;
- (ii) at any other site under the control of the same occupier any part of the boundary of which is within 500 metres of the said site; and
- (iii) in any vehicle, vessel, aircraft or hovercraft under the control of the same occupier which is used for storage purpose either at the site or within 500 metres of it;

but no account shall be taken of any hazardous chemical which is in a vehicle, vessel, aircraft or hovercraft used for transporting it.

Sl. No.	Chemicals	Threshold Quantities (tonnes)	
		For application of Rules 4, 5 and 7-9.	For application of Rules 10 to 15
1.	2.	3.	4.
1.	Acrylonitrile	350	5,000
2.	Ammonia	60	600
3.	Ammonium nitrate (a)	350	2,500
4.	Ammonium nitrate fertilizers(b)	1,250	10,000
5.	Chlorine	10	25
6.	Flammable gases as defined in Schedule 1, paragraph (b)(i)	50	300
7.	Highly flammable liquids as defined in Schedule 1, paragraph (b)(ii)	10,000	10,000
8.	Liquid oxygen	200	2,000
9.	Sodium chlorate	25	250
10.	Sulphur dioxide	20	500
11.	Sulphur trioxide	15	100

(a) This applies to ammonium nitrate and mixtures of ammonium nitrate where the nitrogen content derived from the ammonium nitrate is greater than 28 per cent by weight and to aqueous solutions of ammonium nitrate where the concentration of ammonium nitrate is greater than 90 per cent by weight.

(b) This applies to straight ammonium nitrate fertilizers and to compound fertilizers where the nitrogen content derived from the ammonium nitrate is greater than 28 per cent by weight (a compound-fertilizer contains ammonium nitrate together with phosphate and/or potash).

SCHEDULE 3

[See rule 2(e)(iii), 5 and 6(1)(a)]

List of Hazardous Chemicals for Application of Rules 5 and 7 to 15.

(a) The quantities set-out-below relate to each installation or group of installations belonging to the same occupier where the distance between the installations is not sufficient to avoid, in foreseeable circumstances, any aggravation of major-accident hazards. These quantities apply in any case to each group of installations belonging to the same occupier where the distance between the installations is less than 500 metres.

(b) For the purpose of determining the threshold quantity of a hazardous chemical in an industrial installation, account shall also be taken of any hazardous chemicals which is :—

- (i) in that part of any pipeline under the control of the occupier having control of the site, which is within 500 metres off that site and connected to it;
- (ii) at any other site under the control of the same occupier any part the boundary of which is within 500 metres the said site; and
- (iii) in any vehicle, vessel, aircraft or hovercraft under the control of the same occupier which is used for storage purpose either at the site or within 500 metres of it;

but no account shall be taken of any hazardous chemical which is in a vehicle, vessel, aircraft or hovercraft used for transporting it.

PART I
Named Chemicals

Sl. No.	Chemical	Threshold Quantity		CAS Number
		for application of Rules 5, 7-9 and 13-15	for application of Rules 10-12	
1.	2.	3.	4.	5.
GROUP 1-TOXIC SUBSTANCES				
1.	Aldicarb	100 kg		116-06-3
2.	4-Aminodiphenyl	1 kg		96-67-1
3.	Amiton	1 kg		78-53-5
4.	Anabasine	100 kg		494-52-0
5.	Arsenic pentoxide, Arsenic (V) acid & salts	500 kg		
6.	Arsenic trioxide, Arsenious (III) acid & salts	100 kg		
7.	Arsine (Arsenic hydride)	10 kg		7784-42-1
8.	Azinphos-ethyl	100 kg		2642-71-9
9.	Azinphos-methyl	100 kg		86-50-0
10.	Benzidine	1 kg		92-87-5
11.	Benzidine salts	1 kg		
12.	Beryllium (powders compounds)	10 kg		
13.	Bis (2-chloroethyl) sulphide	1 kg		505-60-2
14.	Bis (chloromethyl) ether	1kg		542-88-1
15.	Carbofuran	100 kg		1563-66-2
16.	Carbophenothion	100 kg		786-19-6
17.	Chlorfenvinphos	100 kg		470-90-6
18.	4-(Chloroformyl) morpholine	1 kg		15159-40-7
19.	Chloromethyl methyl ether	1 kg		107-30-2
20.	Cobalt (metal, oxides, carbonates, sulphides, as powders)	1 t		
21.	Crimidine	100 kg		535-89-7
22.	Cyanthoate	100kg		3734-95-0

1.	2.	3.	4.	5.
23.	Cycloheximide	100 kg		66-81-9
24.	Demeton	100 kg		8065-48-3
25.	Dialifos	100 kg		10311-84-9
26.	OO-Diethyl S-ethylsulphinylmethyl phosphorothioate	100 kg		2588-05-8
27.	OO-Diethyl S-ethylsulphonylmethyl phosphorothioate	100 kg		2588-06-9
28.	OO-Diethyl S-ethylthiomethyl Phosphorothioate	100 kg		2600-69-3
29.	OO-Diethyl S-isopropylthiomethyl phosphorodithioate	100 kg		78-52-4
30.	OO-Diethyl S-propylthiomethyl phosphorodithioate	100 kg		3309-68-0
31.	Dimefox	100 kg		115-26-4
32.	Dimethylcarbamoyl chloride	1 kg		79-44-7
33.	Dimethylnitrosamine	1 kg		62-75-9
34.	Dimethyl phosphoramidocyanidic acid	1 t		63917-41-9
35.	Diphacinone	100 kg		82-66-6
36.	Disulfoton	100 kg		298-04-4
37.	EPN	100 kg		2104-64-5
38.	Ethion	100 kg		563-12-2
39.	Fensulfothion	100 kg		115-90-2
40.	Fluenetil	100 kg		4301-50-2
41.	Fluoroacetic acid	1 kg		144-49-0
42.	Fluoroacetic acid, salts	1 kg		
43.	Fluoroacetic acid, esters	1 kg		
44.	Fluoroacetic acid, amides	1 kg		
45.	4-Fluorobutyric acid	1 kg		462-23-7
46.	4-Fluorobutyric acid, salts	1 kg		
47.	4-Fluorobutyric acid, esters	1 kg		
48.	4-Fluorobutyric acid, amides	1 kg		
49.	4-Fluorocrotonic acid	1 kg		37759-72-1
50.	4-Fluorocrotonic acid, salts	1 kg		
51.	4-Fluorocrotonic acid, esters	1 kg		
52.	4-Fluorocrotonic acid, amides	1 kg		
53.	4-Fluoro-2-hydroxybutyric acid	1 kg		
54.	4-Fluoro-2-hydroxybutyric acid, salts	1 kg		
55.	4-Fluoro-2-hydroxybutyric acid, esters	1 kg		
56.	4-Fluoro-2-hydroxybutyric acid, amides	1 kg		
57.	Glycolonitrile (Hydroxyacetonitrile)	100 kg		107-16-4

2.	3.	4.	5.
58. 1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin	100 kg		19408-74-3
59. Hexamethylphosphoramide	1 kg		680-31-9
60. Hydrogen selenide	10 kg		7783-07-5
61. Isobenzan	100 kg		297-78-9
62. Isodrin	100 kg		465-73-6
63. Juglone (5-Hydroxynaphthalene 1, 4-dione)	100 kg		481-39-0
64. 4,4'-Methylenebis (2-chloroaniline)	10 kg		101-14-4
65. Methyl isocyanate	150 kg-	150 kg.	624-83-9
66. Mevinphos	100 kg		7786-34-7
67. 2-Naphthylamine	1 kg		91-59-8
68. Nickel (metal, oxides, carbonates, sulphide, as powders)	1 t		
69. Nickel tetracarbonyl	10 kg		13463-9-3
70. Oxydisulfoton	100 kg		2497-07-6
71. Oxygen difluoride	10 kg		7783-41-7
72. Paraoxon (Diethyl 4-nitrophenyl phosphate)	100 kg		311-45-5
73. Parathion	100 kg		56-38-2
74. Parathion-methyl	100 kg		298-00-0
75. Pentaborane	100 kg		19624-22-7
76. Phorate	100 kg		298-02-2
77. Phosacetim	100 kg		4104-14-7
78. Phosgene (carbonyl chloride)	750 kg	750 kg	75-44-5
79. Phosphamidon	100 kg		13171-21-6
80. Phosphine (Hydrogen phosphide)	100 kg		7803-51-2
81. Promurit (1-(3, 4-Dichlorophenyl)-3-trinazenethiocarboxamide)	100 kg		5836-73-7
82. 1, 3-Propanesultone	1 kg		1120-71-4
83. 1-Propen-2-chloro-1, 3-diol diacetate	10 kg		10118-72-6
84. Pyrazoxon	100 kg		108-34-9
85. Selenium hexafluoride	10 kg		7783-79-1
86. Sodium selenite	100 kg		10102-18-8
87. Stibine (Antimony hydride)	100 kg		7803-52-3
88. Sulfotep	100 kg		3689-24-5
89. Sulphr dichloride	1 t		10545-99-0
90. Tellurium hexafluoride	100 kg		7783-80-4
91. TEPP	100 kg		107-49-3
92. 2, 3, 7, 8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD)	1 kg		1746-01-6
93. Tetramethylenedisulphotetramine	1 kg		80-12-6
94. Thionazin	100 kg		297-97-2
95. Tirpate (2, 4-Dimethyl-1, 3-dithiolane-2-carboxaldehyde O-methylcarbamoyloxime))	100 kg		26419-73-8
96. Trichloromethanesulphenyl chloride	100 kg		594-42-3
97. 1-Tri (cyclohexyl) stannyl-1H-1, 2, 4-triazole	100 kg		41083-11-8

1.	2.	3.	4.	5.
98.	Triethylenemelamine	10 kg		51-18-3
99.	Warfarin	100 kg		81-81-2
GROUP 2—TOXIC SUBSTANCES				
100.	Acetone cyanohydrin (2-Cyanopropan-2-01)	200 t		75-86-5
101.	Acrolein (2-Propenal)	20 t		107-02-8
102.	Acrylonitrile	20 t	200 t	107-13-1
103.	Allyl alcohol (Propen-1-01)	200 t		107-18-6
104.	Allylamine	200 t		107-11-9
105.	Ammonia	50 t	500 t	7664-41-7
106.	Bromine	40 t		7726-95-6
107.	Carbon disulphide	20 t	200 t	75-15-0
108.	Chlorine	10 t	25 t	7782-50-5
109.	Diphenyl methane di- socyanate (MDI)	20 t		101-68-8
110.	Ethylene dibromide (1, 2-Dibromoethane)	5 t		106-93-4
111.	Ethyleneimine	50 t		151-56-4
112.	Formaldehyde (concentration $\leq 90\%$)	5 t		50-00-0
113.	Hydrogen chloride (liquified gas)	25 t	250 t	7647-01-0
114.	Hydrogen cyanide	5 t	20 t	74-90-8
115.	Hydrogen fluoride	5 t	50 t	7664-39-3
116.	Hydrogen sulphide	5 t	50 t	7783-06-4
117.	Methyl bromide (Bromomethane)	20 t		74-83-9
118.	Nitrogen oxides	50 t		11104-93-1
119.	Propyleneimine	50 t		75-55-8
120.	Sulphur dioxide	20 t	250 t	7446-09-5
121.	Sulphur trioxide	15 t	75 t	7446-11-9
122.	Tetraethyl lead	5 t		78-00-2
123.	Tetramethyl lead	5 t		75-74-1
124.	Toluene di-isocyanate (TDI)	10 t		584-84-9 75-01-4
GROUP 3—HIGHLY REACTIVE SUBSTANCES				
125.	Acetylene (ethyne)	5 t		74-86-2
126.	a. Ammonium nitrate (1)	350 t	2 500 t	6484-52-2
	b. Ammonium nitrate in form of ferti- liser (2)	1 250 t		
127.	2, 2-Bis (tert-butylperoxy) butane (concentration $\geq 70\%$)	5 t		2167-23-9
128.	1, 1-Bis (tert-butylperoxy) cyclohexane (concentration— $\geq 80\%$)	5 t 5 t		3006-86-8 3006-86-8
129.	tert-Butyl peroxyacetate (concentration $\leq 70\%$)	5 t		107-71-1

1.	2.	3.	4.	5.
130.	tert-Butyl peroxyisobutyrate (concentration— $\geq 80\%$)	5 t		109-13-7
131.	tert-Butyl peroxy isopropyl carbonate (concentration— $\geq 80\%$)	5 t		2372-21-6
132.	tert-Butyl peroxy maleate (concentration $\geq 80\%$)	5 t		1931-2-0
133.	tert-Butyl peroxy pivalate (concentration $\geq 77\%$)	50 t		927-07-1
134.	Dibenzyl peroxydicarbonate (concentration— $\geq 90\%$)	5 t		2144-45-8
135.	Di-sec-butyl peroxydicarbonate concentration— $\geq 80\%$)	5 t		19910-5-0
136.	Diethyl peroxydicarbonate (concentration 30%)	50 t		14666-78-5
137.	2, 2-Dihydroperoxypropane (concentration— $\geq 30\%$)	5 t		2614-76-8
138.	Di-isobutyryl peroxide (Concentration 50%)	50 t		3437-84-1
139.	Di-n-propyl peroxydicarbonate (concentration—80%)	5 t		16066-38-9
140.	Ethylene oxide	5 t	50 t	75-21-8
141.	Ethyl nitrate	50 t		625-58-1
142.	3, 3, 6, 6, 9, 9-Hexamethyl-1,2,4,5-tetroxacyclononane (concentration—75%)	50 t		22397-33-7
143.	Hydrogen	2 t	50 t	1333-74-0
144.	Liquid oxygen	200 t		7782-44-7
145.	Methyl ethyl ketone peroxide (concentration—60%)	5 t		1338-23-4
146.	Methyl isobutyl ketone peroxide (concentration 60%)	50 t		37206-20-5
147.	Peracetic acid (concentration 60%)	50 t		79-21-0
148.	Propylene oxide	5 t		75-56-9
149.	Sodium chlorate	25 t		7775-09-9
GROUP 4—EXPLOSIVE SUBSTANCES				
150.	Barium azide	50 t		18810-58-7
151.	Bis (2, 4, 6-trinitrophenyl) amine	50 t		131-73-7
152.	Chlorotrinitrobenzene	50 t		28260-61-9
153.	Cellulose nitrate (containing 12.6% Nitrogen)	50 t		9004-70-0
154.	Cyclotetramethylenetetranitramine	50 t		2691-41-0
155.	Cyclotrimethylenetrinitramine	50 t		121-82-4
156.	Diazodinitrophenol	10 t		7008-81-3
157.	Diethylene glycol dinitrate	10 t		693-21-0
158.	Dinitrophenol, salts	50 t		
159.	Ethylene glycol dinitrate	10 t		628-96-6

1.	2.	3.	4.	5.
160.	1-Guanyl-4-nitrosaminoguanyl-1-tetrazene	10 t		109-27-3
161.	2, 2', 4, 4', 6, 6'-Hexanitrostilbene	50 t		20062-22-0
162.	Hydrazine nitrate	50 t		13464-97-6
163.	Lead azide	50 t		13424-46-9
164.	Lead styphnate (Lead 2, 4, 6-trinitroresorcinoxide)	50 t		15245-44-0
165.	Mercury fulminate	10 t		20820-45-5 628-86-4
166.	N-Methyl-N, 2, 4, 6-tetranitroaniline	50 t		479-45-8
167.	Nitroglycerine	10 t	10 t	55-63-0
168.	Pentaerythritol tetranitrate	50 t		78-11-5
169.	Picric acid (2,4, 6-Trinitrophenol)	50 t		88-89-1
170.	Sodium picramate	50 t		831-52-7
171.	Styphnic acid (2, 4, 6-Trinitroresorcinol)	50 t		82-71-3
172.	1, 3, 5-Triamino-2, 4, 6-trinitrobenzene	50 t		3058-38-6
173.	Trinitroaniline —	50 t		26952-42-1
174.	2, 4, 6-Trinitroanisole	50 t		606-35-9
175.	Trinitrobenzene	50 t		25377-32-6
176.	Trinitrobenzoic acid	50 t		35860-50-5 129-66-8
177.	Trinitrocresol	50 t		28905-71-7
178.	2, 4, 6-Trinitrophenitole	50 t		4732-14-3
179.	2, 4, 6-Trinitrotoluene	50 t	50 t	118-96-7

PART-II

Classes of Substances not specifically named in Part-I

1.	2.	3.	4.	5.
GROUP 5-FLAMMABLE SUBSTANCES				
1.	Flammable gases : Substances which in the gaseous state at normal pressure and mixed with air become flammable and the boiling point of which at normal pressure is 20°C or below;	15 t	200 t	
2.	Highly flammable liquids : Substances which have a flash point lower than 21° C and the boiling point of which at normal pressure is above 20°C;	1000 t		50 000 t
3.	Flammable liquids : Substances which have a flash point lower than 55°C and which remain liquid under pressure, where particular processing conditions, such as high pressure and high temperature, may create major accident hazards.	25 t		200 t

- (1) This applies to ammonium nitrate and mixtures of ammonium nitrate where the nitrogen content derived from the ammonium nitrate is greater than 28% by weight and aqueous solutions of ammonium nitrate where the concentration of ammonium nitrate is greater than 90% by weight.
- (2) This applies to straight ammonium nitrate fertilizers and to compound fertilizers where the nitrogen content derived from the ammonium nitrate is greater than 28% by weight (a compound fertilizer contains ammonium nitrate together with phosphate and/or potash).

SCHEDULE 4

[See rule 2 (h) (i)]

1. Installations for the production, processing or treatment of organic or inorganic chemicals using for this purpose, among others :
 - (a) alkylation
 - (b) Amination by ammonolysis
 - (c) carbonylation
 - (d) condensation
 - (e) dehydrogenation
 - (f) esterification
 - (g) halogenation and manufacture of halogens
 - (h) hydrogenation
 - (i) hydrolysis
 - (j) oxidation
 - (k) polymerization
 - (l) sulphonation
 - (m) desulphurization, manufacture and transformation of sulphur-containing compounds
 - (n) nitration and manufacture of nitrogen-containing compounds
 - (o) manufacture of phosphorous-containing compounds
 - (p) formulation of pesticides and of pharmaceutical products
 - (q) distillation
 - (r) extraction
 - (s) solvation
 - (t) mixing
2. Installations for distillation, refining or other processing of petroleum or petroleum products.
3. Installations for the total or partial disposal of solid or liquid substances by incineration or chemical decomposition.
4. Installations for production, processing or treatment of energy gases, for example, LPG, LNG, SNG.
5. Installations for the dry distillation of coal or lignite.
6. Installations for the production of metals or non-metals by a wet process or by means of electrical energy.

SCHEDULE - 5

[See Rules 2(b) and 3)]

S. No.	Authority(ies) with legal backing	Duties and corresponding Rule
1	2	3
1.	Ministry of Environment and Forests under Environment (Protection) Act, 1986.	(1) Notification of hazardous chemicals as per Rules 2(e) (i) 2(e) (ii) & 2(e) (iii)
2.	Chief Controller Imports & Exports under Import & Export (Control) Act, 1947.	Import of hazardous chemicals as per Rule 17.
3.	Central Pollution Control Board or State Pollution Control Board under Environment (Protection) Act, 1986 as the case may be.	(1) Enforcement of directions and procedures in respect of isolated storage of hazardous chemicals, regarding. <ul style="list-style-type: none"> (i) Notification of major accidents as per Rules 5(1) and 5(2) (ii) Notification of sites as per Rules 7 to 9. (iii) Safety reports in respect of isolated storages as per Rule 10 to 12. (iv) Preparation of on-site emergency plans as per Rule 13. (2) Import of hazardous Chemicals and enforcement of directions and procedures on import of hazardous chemicals as per Rule 17.
4.	Chief Inspector of Factories appointed under the Factories Act, 1948.	Enforcement of directions and procedures in respect of industrial installations and isolated storages dealing with hazardous chemicals and pipelines including inter-state pipelines regarding,— <ul style="list-style-type: none"> (i) Notification of major accidents as per Rule 5(1) and 5(2). (ii) Notification of sites as per Rules 7-9. (iii) Safety reports as per Rules 10 to 12. (iv) Preparation of on-site emergency plans as per Rule 13. (v) Preparation of off-site emergency plans in consultation with District Collector or District Emergency Authority as per Sr. No. 9 of this schedule.
5.	Chief Inspector of Dock Safety appointed under the Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Act, 1986.	Enforcement of directions and procedures in respect of industrial installations and isolated storages dealing with hazardous chemicals and pipelines inside a port regarding.— <ul style="list-style-type: none"> (i) Notification of major accidents as per Rules 5(1) and 5(2). (ii) Notification of sites as per Rules 7 to 9. (iii) Safety reports as per Rules 10 to 12.

1	2	3
		(iv) Preparation of on-site emergency plans as per Rule 13.
		(v) Preparation of off-site emergency plans in consultation with District Collector or District Emergency Authority as per S. No. 9 of this Schedule.
6.	Chief Inspector of Mines appointed under the Mines Act, 1952.	Enforcement of directions and procedures in respect of industrial installations and isolated storages dealing with the hazardous chemicals and pipelines including inter-state pipelines regarding— (i) Notification of major accidents as per Rule 5(1) and 5(2). (ii) Notification of sites as per Rules 7 to 9. (iii) Safety reports as per Rules 10 to 12. (iv) Preparation of on-site emergency plans as per Rule 13. (v) Preparation of off-site emergency plans in consultation with District Collector or District Emergency Authority as per S. No. 9 of this Schedule.
7.	Atomic Energy Regulatory Board appointed under the Atomic Energy Act, 1972.	Enforcement of directions and procedures as per the provisions of the Atomic Energy Act, 1972.
8.	Chief Controller of Explosives appointed under the Indian Explosives Act and Rules, 1983.	Enforcement of directions and procedures as per the provisions of the Indian explosives Act and Rules, 1983.
9.	District Collector or District Emergency Authority designated by the State Government.	Preparation of off-site emergency plans as per Rule 14.

SCHEDULE 6

[See rule 5(1)]

INFORMATION TO BE FURNISHED REGARDING NOTIFICATION OF A MAJOR ACCIDENT

Report number.....
of the particular accident.

1. General data

- (a) Name of the site
- (b) Name and address of the manufacturer
(Also state telephone/telex number)
- (c) (i) Registration number
(ii) Licence number
(As may have been allotted under any statute applicable to the site, e.g. the Factories Act)

- (d) (i) Nature of industrial activity
(Mention what is actually manufactured, stored etc.)
- (ii) National Industrial Classification, 1987 at the four digit level.

--	--	--	--

2. Type of major accident

Explosion		Fire		Emission of dangerous substance	
Substance(s) Emitted					

- 3. Description of the major accident
 - (a) Date, shift and hour of the accident
 - (b) Department/Section and exact place where the accident took place
 - (c) The process/operation undertaken in the Department/Section where the accident took place.
(Attached a flow chart, if necessary)
 - (d) The circumstances of the accident and the dangerous substance involved.
- 4. Emergency measures taken and measures envisaged to be taken to alleviate short term effects of the accident.
- 5. Causes of the major accident.

Known (to be specified)	
Not known	
Information will be supplied as soon as possible.	

6. Nature and extent of damage

(a) Within the establishment—casualties Killed
 Injured
 Poisoned

persons exposed to the major accident—.....

material damage	
danger is still present	
danger no longer exists	

(b) Outside the establishment
casualties

Killed
Injured
Poisoned

persons exposed to the major accident

material damage

damage to environment

the danger is still present

the danger no longer exists

7. Data available for assessing the effects of the accident on persons and environment.
8. Steps already taken or envisaged
 - (a) to alleviate medium or long term effects of the accident.
 - (b) to prevent recurrence of similar major accidents
 - (c) Any other relevant information.

SCHEDULE 7

[See rule 7 (1)]

INFORMATION TO BE FURNISHED FOR THE NOTIFICATION OF SITES

PART -- I

Particulars to be included in a notification of a site.

1. The name and address of the employer making the notification.
2. The full postal address of the site where the notifiable industrial activity will be carried on.
3. The area of the site covered by the notification and of any adjacent site which is required to be taken into account by virtue of b(ii) of Schedules 2 and 3.
4. The date on which it is anticipated that the notifiable industrial activity will commence, or if it has already commenced a statement to that effect.
5. The name and maximum quantity liable to be on the site of each dangerous substance for which notification is being made.
6. Organisation structure, namely organisation diagram for the proposed industrial activity and set up for ensuring safety and health.

7. Information relating to the potential for major accidents, namely--
 - (a) identification of major accident hazards;
 - (b) the conditions or events which could be significant in bringing one about;
 - (c) a brief description of the measures taken
8. Information relating to the site namely --
 - (a) a map of the site and its surrounding area to a scale large enough to show any features that may be significant in the assessment of the hazard or risk associated with the site,--
 - (i) area likely to be affected by the major accident,
 - (ii) population distribution in the vicinity.
 - (b) a scale plan of the site showing the location and quantities of all significant inventories of the hazardous chemicals;
 - (c) a description of the process or storage involving the hazardous chemicals and an indication of the conditions under which it is normally held;
 - (d) the maximum number of persons likely to be present on site.
9. The arrangement for training of workers and equipment necessary to ensure safety of such work.

PART II

Particulars to be included regarding pipeline---

1. The names and the address of the person making the notification.
2. The full postal address of the place from which the pipeline activity is controlled, addresses of the places where the pipeline starts and finishes and a map showing the pipeline route drawn to a scale of not less than 1 : 400000
3. The date on which it is anticipated that the notifiable activity will commence, or if it is already commenced a statement to that effect.
4. The total length of the pipeline, its diameter and normal operating pressure and the name and maximum quantity liable to be in the pipeline of each hazardous chemical for which notification is being made.

SCHEDULE 8

[See rule 10(1)]

INFORMATION TO BE FURNISHED IN A SAFETY REPORT

1. The name and address of the person furnishing the information.
2. Description of the industrial activity, namely--
 - (a) site,
 - (b) construction design,
 - (c) protection zones explosion protection, separation distances,
 - (d) accessibility of plant,
 - (e) maximum number of persons working on the site and particularly of those persons exposed to the hazard.
3. Description of the processes, namely--
 - (a) technical purpose of the industrial activity,
 - (b) basic principles of the technological process,
 - (c) process and safety-related data for the individual process stages,
 - (d) process description,
 - (e) safety-related types of utilities.

4. Description of the hazardous chemicals, namely—
 - (a) chemicals (quantities, substance data, safety-related data, toxicological data and threshold values),
 - (b) the form in which the chemical may occur on or into which they may be transformed in the event of abnormal conditions,
 - (c) the degree of purity of the hazardous chemical
5. Information on the preliminary hazard analysis, namely—
 - (a) types of accident,
 - (b) system elements or events that can lead to a major accident,
 - (c) hazards,
 - (d) safety—relevant components.
6. Description of safety—relevant units, among others;
 - (a) Special design criteria,
 - (b) controls and alarms,
 - (c) special relief systems,
 - (d) quick-acting valves,
 - (e) collecting tanks/dump tank,
 - (f) sprinkler system,
 - (g) fire-fighting etc.
7. Information on the hazard assessment, namely—
 - (a) identification of hazards,
 - (b) the causes of major accidents,
 - (c) assessment of hazards according to their occurrence frequency,
 - (d) assessment of accident consequences,
 - (e) safety systems,
 - (f) known accident history.
8. Description of information on organisational systems used to carry on the industrial activity safely, namely—
 - (a) maintenance and inspection schedules,
 - (b) guidelines for the training of personnel,
 - (c) allocation and delegation of responsibility for plant safety,
 - (d) implementation of safety procedures.
9. Information on assessment of the consequences of major accidents, namely—
 - (a) assessment of the possible release of hazardous chemicals or of energy
 - (b) possible dispersion of released chemical
 - (c) assessment of the effects of the releases (size of the affected area, health effects, property damage).
10. Information on the mitigation of major accidents, namely—
 - (a) fire brigade
 - (b) alarm systems,
 - (c) emergency plan containing system of organisation used to fight the emergency, the alarm and the communication routes, guidelines for fighting the emergency, information about hazardous chemicals, examples of possible accident sequences,

- (d) coordination with the District Emergency authority and its off-site emergency plan,
 (e) notification of the nature and scope of the hazard in the event of an accident,
 (f) antidotes in the event of a release of a hazardous chemical.

SCHEDULE 9

(See Rule 17)

SAFETY DATA SHEET

1. CHEMICAL IDENTITY

Chemical Name		Chemical Classification	
Synonyms		Trade Name	
Formula		C.A.S. No.	U.N. No. :
Regulated Identification	Shipping Name Codes/Label		Hazchem No. :
	Hazardous Waste I.D. No. :		
Hazardous Ingredients	C.A.S. No.	Hazardous Ingredients	C.A.S. No. :
1.		3.	
2.		4.	

2. PHYSICAL AND CHEMICAL DATA

Boiling Range/Point	°C	Physical State	Appearance
Melting/Freezing Point °C		Vapour Pressure @ 35°C	Odour
		mm Hg	
Vapour Density (Air = 1)		Solubility in water @ 30 °C	Others
Specific Gravity Water = 1		pH	

3. FIRE AND EXPLOSION HAZARD DATA

Flammability Yes/No	LEL	%	Flash Point °C	Auto-ignition Temperature °C
TDG Flammability	UEL	%	Flash Point °C	
Explosion Sensitivity to Impact			Explosion Sensitivity to Static Electricity	Hardous Combustion Products
Hazardous Polymerisation				
Combustible Liquid	Explosive Material		Corrosive Material	

Flammable Material	Oxidiser	Others
--------------------	----------	--------

Pyrophoric Material	Organic Peroxide
---------------------	------------------

4. REACTIVITY DATA

Chemical
Stability

Incompatibility
with other Material

Reactivity

Hazardous Reaction
Products

5. HEALTH HAZARD DATA

Routes of
Entry

Effects of
Exposure/Symptoms

Emergency
Treatment

TLV (ACGIH)	ppm	mg/m ³	STEL	ppm	mg/m ³
-------------	-----	-------------------	------	-----	-------------------

Permissible Exposure Limit LD ₅₀	ppm	mg/m ³	Odour Threshold LD ₅₀	ppm	mg/m ³
---	-----	-------------------	-------------------------------------	-----	-------------------

NFPA Hazard Signals	Health	Flammability	Stability	Special
------------------------	--------	--------------	-----------	---------

6. PREVENTIVE MEASURES

Personnel
Protective
Equipment

Handling and
Storage
Precautions

7. EMERGENCY AND FIRST AID MEASURE

FIRE	FIRE EXTINGUISHING Media
------	-----------------------------

FIRE	Special Procedures
	Unusal Hazards
EXPOSURE	First Aid Measures
	Antidotes/Dosages
SPILLS	Steps to be taken
	Waste Disposal Method

8. ADDITIONAL INFORMATION/REFERENCES

9. MANUFACTURER/SUPPLIERS DATA

Name of Firm	Contact Person in Emergency
Mailing Address	
Telephone/Telex Nos.	Local Bodies involved
Telegraphic Address	
	Standard Packing
	Tremcard Details/Ref
	Other

10. DISCLAIMER

Information contained in this material data sheet is believed to be reliable but no representation, guarantee or warranties of any kind are made as to its accuracy, suitability for a particular application or results to be obtained from them. It is upto the manufacturer/seller to ensure that the information contained in the material safety data sheet is relevant to the product manufactured/handled or sold by him as the case may be. The Government makes no warranties expressed or implied in respect of the adequacy of this document for any particular purpose.

SCHEDULE 10

[See Rule 18(5)]

(Format for maintaining records of hazardous chemicals imported)

1. Name and address of the Importer :
2. Date and reference number of issuance of permission to import hazardous chemicals :

-
3. Description of hazardous chemicals :
 - (a) Physical form :
 - (b) Chemical form :
 - (c) Total volume and weight
(in kilogrammes/tonnes)
 4. description of purpose of import :
 5. Description of storage of hazardous chemicals:
 - (a) Date :
 - (b) Method of storage :
-

[17(1)/87-PL/HSMD]
Dr. G. SUNDARAM, Jt. Secy.

